



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266294

CG-DL-E-22092025-266294

xxxGIDxxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]
No. 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2025/भाद्र 28, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2025/BHADRA 28, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2025
अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडी (ओआई)-39/2024

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " कतिपय क्रेनों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा.सं. 6/24/2024-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 ("पाटनरोधी नियमावली, 1995" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली") को ध्यान में रखते हुए।

1. मेसर्स एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (एसीई) ("घरेलू उद्योग" या "आवेदक") ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "सीमा प्रशुल्क अधिनियम" कहा गया है) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुसार चीन जन.गण. ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय क्रेन" ("विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" या "पीयूसी") के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किया था।
2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/24/2024-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2024 के द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के साथ पठित सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू की गई।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले भारत में संबद्ध देश के दूतावास को वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने 30 सितंबर 2024 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई।
 - ग. वर्तमान जाँच के लिए जाँच अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 (12 महीने) है। वर्तमान जाँच के लिए क्षति जाँच अवधि अप्रैल 2020 - मार्च 2021, अप्रैल 2021 - मार्च 2022, अप्रैल 2022 - मार्च 2023 और जाँच की अवधि है।
 - घ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध सामानों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को 3 अक्टूबर 2024 को जांच की शुरुआत की अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे जांच की शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रारूप और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और जांच शुरुआत की अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोध दें।
 - ड. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की प्रति भी परिचालित की।
 - च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच की शुरुआत की अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के संबंध में अपने उत्तर प्रस्तुत करें।

- छ. हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी के समक्ष दायर दस्तावेज के अगोपनीय रूपांतर के परिचालन के 7 दिनों के भीतर अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किए गए गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
- ज. प्राधिकारी ने प्रस्तावित शुल्कों के आर्थिक प्रभाव पर सूचना प्राप्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (जिसे आगे 'ईआईक्यू' कहा गया है) भी जारी की।
- झ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:
- सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट
 - जुझोऊ कंस्ट्रक्शन मशीनरी
 - जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड
- ञ. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है:
- सैनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिमिटेड
 - झेजियांग सैनी इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
 - सैनी ऑटोमोबाइल होइस्टिंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड
 - जूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड
 - जूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - हुनान जूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड
 - जुझोऊ कंस्ट्रक्शन मशीनरी ग्रुप इंप. एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड
- ट. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:
- दीवानचंद रामसरन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
 - मैकॉबर बीके प्राइवेट लिमिटेड
 - समर्थ लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
 - सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - शिवंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 - जूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- ठ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने, जिन्होंने संबद्ध जांच में पंजीकरण कराया है, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके भाग लिया है।
- सैनी हेवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
 - अमरीक सिंह एंड संस क्रेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।
 - ओएसिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।
 - शेठिया इरेक्टर्स एंड मैटेरियल्स हैंडलर्स लिमिटेड।

- v. समर्थ लिफ्टर्स प्राइवेट लिमिटेड।
 - vi. बरकत क्रैन्स एंड इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड।
 - vii. दीवानचंद रामशरण कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड।
 - viii. द्वारकेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन।
 - ix. श्री दिनेश क्रैन सर्विसेज
- ड. संबंधित देश के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है या जाँच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जाँच में असहयोगी माना गया है।
- ढ. हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ दायर करने के लिए जांच की शुरुआत की अधिसूचना की तिथि से 30 दिन का समय दिया गया था। इस विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के संबंध में टिप्पणियों दायर करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, 2024 थी, जिसे 4 नवंबर, 2024 की सूचना द्वारा 10 नवंबर, 2024 तक बढ़ाया गया था।
- ण. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में प्राधिकारी को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इसके बाद प्राधिकारी ने 14 नवंबर, 2024 को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में एक बैठक आयोजित की। इसके बाद प्राधिकारी ने बैठक से पूर्व और उसके बाद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों/अनुरोधों की जांच करने और बैठक के दौरान की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए 5 दिसंबर, 2024 की अपनी सूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र और पीसीएन पद्धति अंतिम रूप से अधिसूचित की।
- त. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों का लेन-देन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। यह विवरण प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था और वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए इस पर विचार किया गया।
- थ. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 3 जुलाई, 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई के माध्यम से, संबंधित जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने का भी निर्देश दिया गया।
- द. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, भारत में संबद्ध सामानों के लिए उत्पादन लागत और नियोजित पूंजी पर उचित आय के आधार पर निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

- ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की गई है और आवश्यकतानुसार सत्यापन किया गया है तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के लिए उस पर भरोसा किया गया है।
- न. संबद्ध देश के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक सीमा तक किया गया तथा वर्तमान प्रकटन विवरण के प्रयोजनार्थ उसी पर भरोसा किया गया है।
- प. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पारस्परिक आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना संख्या 01/2020 दिनांक 10 अप्रैल 2020 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसका अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया।
- फ. प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त प्रकटन विवरण 25 अगस्त 2025 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन-पश्चात टिप्पणियों की संगत समझी गई सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो केवल पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।
- ब. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए सभी संगत तर्कों और दी गई सूचना पर, साक्ष्य द्वारा समर्थित और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई सीमा तक विचार किया है।
- भ. प्रकटन विवरण में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- म. वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अम.डा. =83.70 भारतीय रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के स्तर पर परिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है-
3. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद " कतिपय क्रेन" हैं (जिन्हें आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया है। विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित प्रकार की क्रेन हैं:
- क. क्रॉलर क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 40 एमटी से 260 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेम्बल या अलग-अलग रूप में हों।
- ख. ट्रक क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 25 एमटी से 160 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेम्बल या अलग-अलग रूप में हों।
4. संबद्ध सामानों का प्रयोग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, सड़कों और पुलों, रिफाइनरी, सीमेंट संयंत्रों और किसी भी अन्य औद्योगिक परियोजनाओं जैसे परियोजना स्थलों पर लोडिंग/अनलोडिंग, सामग्री के स्थानांतरण, निर्माण आदि के लिए किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद अध्याय शीर्षक 8426 के अंतर्गत वर्गीकृत है। संबद्ध सामानों का आयात क्षति अवधि के दौरान एचएस कोड 84264100, 84264900, 84314990, 84314390, 84314920, 84314390 में भी किया जाता है। कृपया सीमा शुल्क वर्गीकरण को संकेतात्मक माना जाए और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी न माना जाए।

5. आवेदक ने निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है:

क्र.सं.	प्रकार	मूल्य	पीसीएन कोड
1	मशीन की श्रेणी/प्रकार	क्रॉलर क्रेन	सीसी
		ट्रक क्रेन	टीसी
2	एमटी में भार क्षमता (विवरणात्मक)	25 एमटी	025
		40 एमटी	040
		45 एमटी	045
		50 एमटी	050
		55 एमटी	055
		60 एमटी	060
		65 एमटी	065
		70 एमटी	070
		75 एमटी	075
		80 एमटी	080
		85 एमटी	085
		90 एमटी	090
		100 एमटी आदि	100

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

6. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सैनी समूह ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का ही उत्पादन किया है। तदनुसार, 60 एमटी से अधिक के ट्रक क्रेन और 81 एमटी से अधिक के क्रॉलर क्रेन को जाँच के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। विस्तृत उत्पाद विनिर्देश, ब्रोशर सहित, आवेदक उद्योग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ख. जूमलियन ने 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का अनुरोध किया है क्योंकि वे समझते हैं कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है। 180 एमटी से अधिक भार उठाने की क्षमता वाले क्रॉलर क्रेनों के लिए प्रौद्योगिकी, मशीनरी, उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में मूलभूत अंतर हैं।

- ग. याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से केवल दो प्रकार के क्रेनों, यानी ट्रक और क्रॉलर क्रेन को शामिल करने का अनुरोध किया है। तदनुसार, अन्य सभी प्रकार के क्रेन, जैसे (i) ऑल-टैरेन क्रेन, (ii) रफ टैरेन क्रेन, और (iii) टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन, विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं।
- घ. प्रस्तावित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति में क्रेनों के बीच प्रमुख अंतरों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से लोडिंग क्षमता, बूम के आकार और चेसिस संरचना, टेलीस्कोपिक बूम आदि के संदर्भ में। लागत/कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है जो टेलीस्कोपिक बूम क्रेन के लिए पीसीएन को अपनाने को उचित ठहराता है।
- ड. स्पष्ट करें कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पार्ट्स' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद का अंतिम क्षेत्र निर्धारित करते समय एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 का संदर्भ छोड़ दिया जाए क्योंकि एचएस कोड 8431 में केवल पुर्जे शामिल हैं।
- च. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचालन परिपाटियों के मैनुअल ("डीजीटीआर मैनुअल") के पैरा 3.10 में कहा गया है कि विचाराधीन उत्पाद में अधिमानतः उन सामानों को शामिल किया जाना चाहिए, जो संबंधित घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में उत्पादित और वाणिज्यिक रूप से बेचे जाते हैं।
- छ. जो उत्पाद प्रकार वाणिज्यिक मात्रा में घरेलू उद्योग द्वारा नहीं बेचा जाता है, उसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और पीसीएन पद्धति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. सैनी ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का उत्पादन किया है। इसके विपरीत, अन्य हितबद्ध पक्षकार, जूमलियन ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है।
 - ख. वास्तव में, घरेलू उद्योग ने 180 एमटी तक के क्रॉलर क्रेन का निर्माण और बिक्री की है। 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन के संबंध में, घरेलू उद्योग इनका उत्पादन करने में पूरी तरह सक्षम है क्योंकि उनके पास आवश्यक प्रौद्योगिकी है। इनका उत्पादन और आपूर्ति किसी भी आदेश प्राप्त होने पर की जा सकती है। 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन के संबंध में भी यही स्थिति है।
 - ग. बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह अनुरोध किया जाता है कि कानून के तहत प्रत्येक मॉडल का उत्पादन अनिवार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नोट किया जाए कि विचाराधीन उत्पाद एक अनुकूलित/टेलर-मेड उच्च मूल्य वाला उत्पाद है, न कि कमोडिटी उत्पाद। घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन और परिणामस्वरूप ऑर्डरों की कमी के कारण कुछ मॉडलों का निर्माण नहीं किया है। यही कारण है कि प्राधिकारी की यह निरंतर परिपाटी है कि वे उन वेरिएंट/प्रकारों को जांच के क्षेत्र में शामिल करते हैं जिनका निर्माण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया था, इस आधार पर कि घरेलू उद्योग में उनके निर्माण की क्षमता थी और दोनों उत्पाद तुलनीय हैं। इस संदर्भ में उनके अनुरोधों को

पुष्ट करने के लिए, नीचे दिए गए कुछ अंतिम जांच परिणाम (उदाहरणार्थ) से संगत अंश पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच [फा. सं. 6/4/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2023]

14. 4,500 किलोग्राम और 2,000 किलोग्राम से कम रेटेड पेलोड क्षमता वाले व्हील लोडरों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अन्य अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी जाँच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का परस्पर परिवर्तनीय होने की आवश्यकता नहीं है। शामिल उत्पादों का केवल तुलनीय होना आवश्यक है।

चीन जन.गण. और इज़राइल के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसडीएच उपकरणों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच [फा. सं. 14/2/2009-डीजीएडी दिनांक 19 अक्टूबर, 2010]

35. ग. एसटीएम-256 - यह स्वीकार किया जाता है कि जाँच की अवधि के दौरान एसटीएम-256 का न तो आयात किया गया था और न ही घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति की गई थी। याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादकों के परिसरों में की गई जाँच से स्पष्ट रूप से पता चला कि एसटीएम-256 को नई पीढ़ी का एसडीएच उपकरण कहा जा सकता है। जाँच से यह पता नहीं चला है कि यदि विदेशी उत्पादकों द्वारा एसटीएम 256 का निर्यात किया गया था, तो घरेलू उद्योग ने एसटीएम-256 की पेशकश नहीं की थी। वास्तव में, हितबद्ध पक्षकार इस बात पर सहमत हुए कि देश में एसडीएच-256 को तैनात करने के लिए तकनीकी अनुमोदन/अनुमति भी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी का मानना है कि किसी विशेष प्रकार को अलग किए जाने के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात न किया गया हो, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की आपूर्ति न करने का तथ्य तब तक सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि उस प्रकार का भारत को निर्यात न किया जाए। प्राधिकारी का मानना है कि एसटीएम 256 को बाहर करने को उचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा, जाँच दल को तेजस द्वारा निर्मित और बेंगलूर में उनके परिसर में उपलब्ध एसटीएम-256 उपकरण तक पहुँच प्रदान की गई थी। तेजस ने दिखाया कि उसने इस उत्पाद के विकास में अब तक महत्वपूर्ण निवेश (***** करोड़ रुपये) किया है और दावा किया कि उपकरण तभी बेचा जा सकता है जब कोई पक्षकार इसके लिए ऑर्डर दे।

इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जाँच [फा. संख्या 14/51/2016-डीजीएडी दिनांक 23 अप्रैल, 2018]

छ. सी 12 और सी 14 अल्कोहल के शुद्ध रूप को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के इस तर्क में दम नज़र आता है कि उसने सी12 और सी14 अल्कोहल का उत्पादन और बिक्री की है। वास्तव में, भारत में सी12सी14 की सबसे अधिक मांग है। जब घरेलू उद्योग ने इन अल्कोहल के मिश्रित रूप को बेचा है, तो शुद्ध रूपों को बाहर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उन्हें बाहर रखना शुल्क के मूल उद्देश्य को ही विफल कर देगा। प्राधिकारी महानिदेशक, रक्षोपाय के अंतिम जांच परिणामों को भी नोट करते हैं कि ये मर्दे परस्पर परिवर्तनीय हैं और समान निर्माण प्रक्रिया द्वारा समान कच्चे माल से निर्मित होती हैं। इस प्रकार, सी12 और सी14 ग्रेड के वसायुक्त अल्कोहल को बाहर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्राधिकारी के उपरोक्त जांच परिणामों की पुष्टि माननीय सेस्टैट, नई दिल्ली द्वारा अंतिम आदेश संख्या 50010-50013/2023 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से की गई है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

“34. अतः, विचाराधीन उत्पाद में शुद्ध कट्स सी12 और सी14 को शामिल करने में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए जांच परिणाम में कोई त्रुटि नहीं है।”

चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "सेल्फ-एडेसिव विनाइल (एसएवी)" के आयात पर पाटनरोधी जाँच [फा. संख्या: दिनांक 28 दिसंबर, 2023]

16. कुछ विशिष्ट एसएवी के संबंध में, जिनके लिए अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस आधार पर विशिष्ट रूप से बाहर करने की माँग की गई है कि घरेलू उद्योग ने उनका उत्पादन और वाणिज्यिक रूप से बिक्री नहीं की है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपने द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए उत्पाद प्रकारों की एक विस्तृत सूची और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, हालाँकि पाटित आयातों के कारण ऑर्डरों की कमी के कारण कम मात्रा में, और यह भी दावा किया है कि मांग होने पर अन्य उत्पादों का उत्पादन उसी संयंत्र और उपकरण सेट में किया जा सकता है क्योंकि इन उत्पाद प्रकारों के उत्पादन की उत्पादन प्रक्रिया में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। कुछ प्रतिवादी निर्यातकों की उत्पादन प्रक्रिया की जाँच से यह भी पता चलता है कि प्रक्रिया मूलतः एक जैसी ही है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय सेस्टैट टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स बनाम भारत संघ एवं अन्य द्वारा निर्णीत मामले का अनुपात इस मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह दर्शाया गया है कि आवेदक के पास उपलब्ध संयंत्र और उपकरण में सभी प्रकार के एसएवी के उत्पादन और आपूर्ति की क्षमता और लचीलापन है, सिवाय उन एसएवी के जिन्हें आवेदक ने विशेष रूप से बाहर रखा है।

- घ. घरेलू उद्योग में सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पाद का सभी भार/उठाने की क्षमता के साथ विनिर्माण करने की क्षमता है। हालाँकि, वास्तविक विनिर्माण और आपूर्ति चीन जन.गण. से पाटन और ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर पर निर्भर करती है।
- ङ. प्राधिकारी 160 एमटी से अधिक की भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन को बाहर कर सकते हैं क्योंकि भारतीय बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है। इसके अलावा, यह भी नोट किया जाए है कि 160 एमटी से अधिक की भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन की मांग वैश्विक स्तर पर भी बहुत सीमित है। इसकी क्षति की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों से जांच की जाए।
- च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्रॉलर क्रेनों का दायरा 260 एमटी की भारोत्तोलन क्षमता तक सीमित कर दिया है, जिसका अर्थ है कि उनके पास उच्च भारोत्तोलन क्षमता वाली मशीनें बनाने की क्षमता नहीं है। इस संबंध में आवेदक ने अनुरोध किया है कि उन्होंने क्रॉलर क्रेनों का क्षेत्र 260 एमटी की भारोत्तोलन क्षमता तक सीमित कर दिया है क्योंकि 260 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेनों की भारतीय मांग बहुत कम है।
- छ. उत्पाद ब्रोशर के संबंध में, यह अनुरोध किया गया है कि ब्रोशर चालू मॉडलों का संकेतक होता है और न तो कानून द्वारा इसकी आवश्यकता होती है और न ही घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए जा सकने वाले प्रत्येक मॉडल/क्षमता का उल्लेख करने का कोई मानदंड है।
- ज. ऑल टेरें क्रेनों को बाहर रखने के संबंध में, आवेदक ने अनुरोध किया है कि 160 एमटी और उससे अधिक क्षमता वाले ऑल टेरें क्रेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।

हालाँकि, यह नोट किया जाए कि ऑल टेरन क्रेन भी एक प्रकार का ट्रक क्रेन है। तदनुसार, इस बात की पूरी संभावना है कि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना करने के लिए ट्रक क्रेनों को ऑल टेरन क्रेन के रूप में निर्यात कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें उचित रूप से परिभाषित न किया जाए। इसलिए, प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है कि वे अंतिम जांच परिणामों में "ऑल टेरन क्रेन" शब्द को परिभाषित करें ताकि इस तरह की प्रवंचना की संभावना से बचा जा सके।

- झ. आवेदक ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे प्रवंचना की संभावना से बचने के लिए अंतिम जांच परिणामों में निम्नलिखित पैराग्राफ का उल्लेख करें।

"किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त "ऑल टेरन क्रेन" को केवल तभी विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा जब वह उपरोक्त सभी शर्तों को एक साथ पूरा करता हो।"

- ज. हमारा प्रस्ताव व्हील लोडर पाटनरोधी जांच [एफएफ दिनांक 29.09.2023] के मामले में प्राधिकारी के हालिया निर्णय के अनुरूप भी है।
- ट. रफ टेरन क्रेन के संबंध में, यह अनुरोध है कि प्राधिकारी जांच परिणामों में स्पष्ट करें कि वे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।
- ठ. टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन के संबंध में, यह अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के भीतर टेलीस्कोपिक बूम का निर्माण किया है। घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर क्रॉलर क्रेन पर फिक्स्ड बूम या टेलीस्कोपिक बूम लगाता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर क्रॉलर क्रेन को फिक्स्ड बूम के साथ-साथ टेलीस्कोपिक बूम दोनों की आपूर्ति कर सकता है। इसलिए, ऐसे क्रेन को बाहर करने का कोई सवाल ही नहीं है।
- ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पीसीएन पद्धति में टेलीस्कोपिक बूम को छोड़कर बूम के आकार और चेसिस संरचना आदि पर विचार करने का अनुरोध भ्रामक, गलत है और इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। घरेलू उद्योग का कहना है कि क्रेन को एमटी (एमटी) में उनकी उठाने की क्षमता और प्रकार (जैसे क्रॉलर/ ट्रक/ ऑल टेरन क्रेन आदि) द्वारा वर्णित किया जाता है। क्रेन की भार क्षमता में वृद्धि के साथ बूम, चेसिस आदि जैसे प्रमुख भागों के आकार बढ़ जाते हैं। तदनुसार, क्रेन की लागत/कीमत भी बढ़ जाती है। सैनी इंडिया के प्रतिनिधि ने भी बैठक के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है।
- ढ. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे के समर्थन में कोई विवरण नहीं दिया है कि कीमतें/लागत अलग-अलग बूम लंबाई, चेसिस आदि के साथ भिन्न होती हैं और भार क्षमता द्वारा इन्हें कवर नहीं किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए दावे खोखले और निराधार हैं। यह नोट किया जाए कि प्राधिकारी की सतत परिपाटी के अनुसार, पीसीएन तभी बनाए जाते हैं जब नीचे उल्लिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं:

क) कीमत में अंतर पीसीएन के लिए प्रस्तावित प्रत्येक पैरामीटर के कारण होगा। हितबद्ध पक्षकारों को यह सिद्ध करना होगा कि विभिन्न प्रकारों/मॉडलों की उत्पादन लागत में अंतर उत्पाद विशेषताओं/प्रस्तावित पीसीएन पैरामीटरों में अंतर के कारण है और किस हद तक लागत में अंतर समयावधि के कारण है। हालाँकि, वर्तमान मामले में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है।

ख) यह भी नोट किया जाए कि प्रस्तावित पीसीएन मापदंड, हितबद्ध पक्षकारों के दावे की क्रॉस-चेकिंग की सुविधा के लिए आयात आंकड़ों में भी उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान मामले में, हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तावित पीसीएन मापदंड का आयात आंकड़ों से क्रॉस-सत्यापन नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा केवल प्राधिकारी को गुमराह करने और भ्रम पैदा करने के लिए उठाया है।

यह अनुरोध है कि पीसीएन में किसी भी परिवर्ती/विशेषता को जोड़ने का अनुरोध करने वाले पक्षकार की यह एकमात्र जिम्मेदारी है कि वह यह दर्शाए कि किसी भी परिवर्ती को जोड़ने से कीमत तुलनीयता पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ेगा। किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा साक्ष्य तो दूर, कोई सूचना दायर नहीं की गई है। इसलिए, हितबद्ध पक्षकारों के दावों को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए।

ण. इस संदर्भ में हमारे अनुरोध को पुष्ट करने के लिए, चीन जन.गण. [फा. संख्या 6/4/2022-डीजीटीआर दिनांक 29 सितंबर, 2023] के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच के हालिया अंतिम जांच परिणामों के संगत अंश नीचे दिए गए हैं। प्राधिकारी ने कई जांचों में यही दृष्टिकोण अपनाया है।

33. कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त पीसीएन मापदंडों (जैसे ट्रांसमिशन, ब्रेक और पंप) के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि ये अतिरिक्त मापदंड विचाराधीन उत्पाद की कीमत तुलना में कोई उल्लेखनीय अंतर लाते हैं जिसके लिए एक अलग पीसीएन मापदंड की आवश्यकता हो। दूसरे शब्दों में, यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इन अतिरिक्त मापदंडों को शामिल करने से पाटन या क्षति की अधिक निष्पक्ष तुलना संभव होगी। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने यह दर्शाने के लिए पर्याप्त आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सुझाए गए इन अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर व्हील लोडरों की लागत में अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने पीसीएन पद्धति को संशोधित करना आवश्यक नहीं समझा।

त. प्राधिकारी पीसीएन पद्धति में टेलीस्कोपिक बूम को शामिल करें।

थ. जहाँ तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह स्पष्ट करने के दावे का प्रश्न है कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते, यह अनुरोध है कि केवल असेंबल/सेमी असेंबल/डिसअसेम्बल रूप में अर्थात् सीबीयू/सीकेडी/एसकेडी रूप में आयातित क्रॉलर क्रेन और ट्रक क्रेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह स्पष्ट करें कि 'क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे' विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने यहां हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन कार्यप्रणाली के क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित रूप में अनुरोधों की जांच की है:
9. हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर रखने का दावा किया है। यह नोट किया गया है कि जहां सैनी समूह ने दावा किया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने केवल 40 एमटी से 81 एमटी के बीच क्रॉलर क्रेन और 25 एमटी

से 60 एमटी के बीच ट्रक क्रेन का उत्पादन किया है, वहीं जूमलियन समूह ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग 180 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन का उत्पादन नहीं कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी 160 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले ट्रक क्रेन और 260 एमटी से अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन को बाहर रखें, क्योंकि उनकी मांग बहुत सीमित है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उन्होंने चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन और परिणामस्वरूप ऑर्डरों की कमी के कारण कुछ मॉडलों का निर्माण नहीं किया है। उन्होंने आगे दावा किया है कि वास्तविक निर्माण और आपूर्ति चीन जन.गण. से पाटन और ग्राहकों द्वारा दिए गए ऑर्डर पर निर्भर करती है।

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एक ग्राहक अनुकूलित/टेलर-मेड उच्च कीमत वाला उत्पाद है, न कि कमोडिटी उत्पाद। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 180 एमटी तक क्रॉलर क्रेन का निर्माण और बिक्री की। 180 एमटी से अधिक क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 100 एमटी से अधिक क्षमता वाले ट्रक क्रेन के संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे को नोट करते हैं कि वे मौजूदा तकनीक और बुनियादी ढांचे के साथ इसका उत्पादन करने में सक्षम हैं। घरेलू उद्योग के ऑन-साइट सत्यापन के दौरान, यह स्पष्ट किया गया कि उच्च भारोत्तोलन क्षमता वाले विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए किसी अतिरिक्त संयंत्र, मशीनरी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की किसी भी भारोत्तोलन क्षमता के निर्माण की प्रमुख प्रक्रिया में निर्माण शामिल होता है।
11. प्राधिकारी यह पाते हैं कि 'संबंधित उत्पाद' का क्षेत्र जांच के उद्देश्यों और प्रभावशीलता को सीधे प्रभावित करता है। उत्पाद का अत्यधिक व्यापक दायरा अनुचित संरक्षण को जन्म दे सकता है और जांच प्रक्रिया में अनावश्यक जटिलताएं पैदा कर सकता है। इसके विपरीत, अत्यधिक संकीर्ण दायरा घरेलू बाजार में क्षतिकारक पाटन के मुद्दे को हल करने में कम पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप निरंतर क्षति हो सकती है, क्योंकि आयातक या प्रयोक्ता लगाए गए उपायों की प्रवंचना कर सकते हैं।
12. प्राधिकारी, हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए, 260 एमटी से अधिक क्षमता वाले क्रॉलर क्रेन और 160 एमटी से अधिक क्षमता वाले ट्रक क्रेन को बाहर रखते हैं।
13. बिना किसी भारोत्तोलन क्षमता वाले ऑल टेरन क्रेन को बाहर करने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऑल टेरन क्रेन भी एक प्रकार का ट्रक क्रेन है। जांच की अवधि के आयात आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ऑल टेरन क्रेन मुख्य रूप से 160 एमटी और उससे अधिक भारोत्तोलन क्षमता वाले आयात किए जाते हैं। पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए ट्रक क्रेन के स्थान पर ऑल टेरन क्रेन का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए, 160 एमटी से कम क्षमता वाले ऑल टेरन क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर करना उचित नहीं है।
14. हितबद्ध पक्षकारों ने यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया है कि रफ टेरन क्रेन विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।
15. क्रेनों के स्टैंडअलोन भागों को बाहर रखने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्रेनों के स्टैंडअलोन पुर्जें विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में नहीं आते हैं।
16. टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेनों को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान टेलीस्कोपिक बूम का निर्माण किया है। बूम का प्रकार, अर्थात् स्थिर या

टेलीस्कोपिक बूम, ग्राहक की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ऐसे मामले में, टेलीस्कोपिक बूम क्रॉलर क्रेन को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है।

17. हितबद्ध पक्षकारों ने पीसीएन पद्धति में बूम के आकार, बूम के प्रकार, चेसिस संरचना आदि पर विचार करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्रेनों का वर्णन मीट्रिक टन (एमटी) में उनकी भारोत्तोलन क्षमता और प्रकार (जैसे क्रॉलर/ट्रक/ऑल टेरें क्रेन आदि) के आधार पर किया जाता है। क्रेन की भार क्षमता बढ़ने के साथ बूम, चेसिस आदि जैसे प्रमुख भागों के आकार भी बढ़ जाते हैं। क्रेन की लागत और कीमत भी उसी के अनुसार बढ़ जाती है। यह भी नोट किया गया है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रस्तावित प्रत्येक मापदंड की तुलना में लागत/कीमत में अंतर को साक्ष्य के साथ नहीं दर्शाया है।
18. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए क्रेन के प्रकार (क्रॉलर या ट्रक), भारोत्तोलन/उठाने की क्षमता और बूम के प्रकार (दूरबीन और गैर-दूरबीन) के आधार पर पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया है।
19. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार प्रावधान है:-
"समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;
20. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद, भौतिक विशेषताओं, प्रकारों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित सामान पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार समान वस्तुएँ हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और अभिप्राय से संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है।
21. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी 5 दिसंबर 2024 के अपने नोटिस में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं। इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद "कतिपय क्रेन" है, (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" या "संबद्ध सामान" भी कहा गया)। विचाराधीन उत्पाद निम्न प्रकार के क्रेन हैं:

क. क्रॉलर क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 40 एमटी से 260 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेंबल या अलग-अलग रूप में हों।

ख. ट्रक क्रेन जिनकी भारोत्तोलन क्षमता 25 एमटी से 160 एमटी तक है, चाहे वे पूरी तरह से असेंबल, अर्ध-असेंबल या अलग-अलग रूप में हों।

बाहर किए गए विचाराधीन:

i. रफ टेरें क्रेन

ii. "160 एमटी और उससे अधिक क्षमता वाले सभी टेरें क्रेन" जो ट्रक पर लगे क्रेन हैं और विभिन्न इलाकों में प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ हैं:

क. 2 इंजन;

ख. सभी धुरों पर हाइड्रोन्यूमेटिक्स सस्पेंशन सिस्टम
 हाइड्रोलिक तेल और संपीड़ित गैस का उपयोग करके;
 ग. कई स्टीयरिंग मोड के साथ सभी धुरों का स्टीयरिंग/टर्निंग;
 घ. सभी या कम से कम 3 धुरों पर मल्टी-एक्सल ड्राइव;
 ङ. स्वचालित ट्रांसमिशन; और
 च. 6 भागों से अधिक वाला बूम और दूरबीनी संरचना
 एकल सिलेंडर तंत्र के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

iii. क्रेन के स्टैंडअलोन पुर्जे

पीसीएन पद्धति

क्र.सं.	प्रकार	मूल्य	पीसीएन कोड
1	मशीन की श्रेणी/ प्रकार	क्रॉलर क्रेन	सीसी
		ट्रक क्रेन	टीसी
2	बूम का प्रकार	दूरबीन क्रेन	टीई
		गैर-दूरबीन क्रेन	एनटी
3	भार क्षमता एमटी में (उदाहरण के लिए)	25 एमटी	025
		30 एमटी	030
		35 एमटी	035
		40 एमटी	040
		45 एमटी	045
		50 एमटी	050
		55 एमटी	055
		60 एमटी	060
		65 एमटी	065
		70 एमटी	070
		75 एमटी	075
		80 एमटी	080
		85 एमटी	085
		90 एमटी	090
		95 एमटी	095
		100 एमटी आदि [क्रॉलर क्रेन के लिए 260 एमटी तक और ट्रक क्रेन के लिए 160 एमटी तक]	100

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

22. घरेलू उद्योग के आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

- क. आवेदक ने एक अन्य घरेलू उत्पादक, टीआईएल लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उत्पादों का संचालन और निर्माण जारी रखे हुए है, की मौजूदगी और भूमिका को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। आवेदक के दावों के विपरीत, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट (www.tilindia.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना स्पष्ट रूप से सिद्ध करती है कि टीआईएल लिमिटेड अभी भी प्रचालनात्मक है और उन सामानों के विनिर्माण में लगा है जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आते हैं।
- ख. ऐसी महत्वपूर्ण सूचना आवेदक द्वारा सीमा प्रशुल्क नियमावली, 1995 के नियम 5(3) के अनुसार प्रकट की जानी चाहिए थी, जिसके अनुसार आवेदक को घरेलू उत्पादन की मात्रा और मूल्य के संबंध में साक्ष्य प्रदान करना आवश्यक है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के एक अन्य ज्ञात उत्पादक, अर्थात् टीआईएल लिमिटेड, की पहचान करने और उसके मौजूदगी का खुलासा करने में विफलता एक गंभीर चूक है जो आवेदक के बाजार प्रभुत्व या घरेलू उद्योग के प्रतिनिधित्व के दावे की विश्वसनीयता से समझौता करती है।
- ग. टीआईएल लिमिटेड अभी भी ट्रक क्रेन, क्रॉलर क्रेन और बूम लिफ्ट जैसे बुनियादी ढाँचे के उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति जारी रखे हुए है, जो विचाराधीन उत्पाद के समान श्रेणी में आते हैं। कंपनी के निरंतर प्रचालन और इसकी विनिर्माण क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार, समान वस्तु के सभी घरेलू उत्पादकों पर विचार करना होगा, जो "घरेलू उद्योग" को परिभाषित करता है, जिसमें कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात बनाने वाले उत्पादकों को शामिल किया गया है।
- घ. प्रयोक्ता जांच की अवधि के लिए टीआईएल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं, जिसके अनुसार "ट्रक क्रेन और रफ टेरेन क्रेन" इसके कमरहट्टी कारखाने में उत्पादित प्राथमिक उत्पाद हैं। टीआईएल लिमिटेड की वेबसाइट ट्रक क्रेन के कई प्रकारों के लिए कोटेशन भी आमंत्रित करती है।
- ड. आवेदन-पत्र से टीआईएल लिमिटेड की चूक नियम 5(3) का उल्लंघन करती है और इस दावे को कमजोर करती है कि आवेदक पूरे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। नियम 2(ख) के अनुसार सभी घरेलू उत्पादकों पर विचार किया जाना चाहिए तथा प्राधिकारी को पूर्ण क्षति विश्लेषण सुनिश्चित करने के लिए टीआईएल लिमिटेड से आंकड़े प्राप्त करने चाहिए।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

23. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग और उसके आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक, जाँच की अवधि और क्षति की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है।
- ख. संबद्ध सामानों के विनिर्माण में लगे अन्य उत्पादकों, जैसे ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड (टीआईएल), कोबेल्को, एस्कॉर्ट टैडानो, एबीजी क्रेन और टाटा हिताची ने चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन के कारण संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया।

- ग. टीआईएल, जाँच अवधि और क्षति अवधि के दौरान अन्य प्रकार की क्रेनों के विनिर्माण में लगी हुई है, न कि विचाराधीन उत्पाद के। इस प्रकार, आवेदक भारतीय उत्पादन का 100% हिस्सा है।
- घ. यह भी अनुरोध है कि आवेदक ने क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, आवेदक, जाँच की अवधि के दौरान संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, प्राधिकारी ने नियम 5(3) के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अभिप्राय से आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग सही माना है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

‘(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।’

25. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि आवेदक ने एक अन्य घरेलू उत्पादक, टीआईएल लिमिटेड, जो विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में उत्पादों का प्रचालन और निर्माण जारी रखे हुए है, की मौजूदगी और भूमिका को गलत बताई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड (एसीई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में दावा किया है कि वह जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक ने यह भी अनुरोध किया है कि ट्रेक्टर इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) संबद्ध वस्तुओं सामानों के विनिर्माण में लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त, उसने दावा किया है कि चीन जन.गण. से आक्रामक पाटन के कारण टीआईएल ने संबद्ध सामानों का उत्पादन बंद कर दिया था। आवेदक ने अपने आवेदन-पत्र में टीआईएल का विवरण भी साझा किया है। यह भी नोट किया जाता है कि टीआईएल सहित किसी भी घरेलू कंपनी ने जांच अवधि के दौरान यह दावा करते हुए कोई अनुरोध दायर नहीं किया है कि वे संबद्ध सामानों के निर्माता हैं।
26. प्राधिकारी ने भारत के आधिकारिक राजपत्र में जांच की शुरुआत की सूचना प्रकाशित की थी जिसमें सभी हितबद्ध पक्षकारों को जांच से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें विचाराधीन उत्पाद का कोई भी घरेलू उत्पादक शामिल है। कथित घरेलू उत्पादकों में से किसी ने भी आगे आकर जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को संगत आंकड़े नहीं दिए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रयोक्ता उद्योग/एसोसिएशन सहित हितबद्ध पक्षकार, टीआईएल द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री को दर्शाने वाले बिक्री बीजक आदि जैसे किसी भी साक्ष्य के साथ इसकी पुष्टि करने में विफल रहे हैं। इसलिए, अन्य हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा कि टीआईएल विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों में से एक है और आवेदक ने तथ्यों को छिपाया है, मान्य नहीं है।

27. आवेदक ने घोषित किया है कि वह न तो चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक से संबद्ध है; न ही वह भारत में किसी आयातक से संबद्ध है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से आयात नहीं किया है, जैसा कि आयात आंकड़ों के विश्लेषण से सिद्ध है।
28. अतः, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है, और यह कि आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया है, वह वास्तव में वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील है और इसका सार्वजनिक प्रकटन महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक पूर्वाग्रह पैदा करेगा। ऐसी सभी गोपनीय सूचनाओं के लिए, यथासंभव अगोपनीय सार प्रदान किए गए हैं, जिससे सार को उचित रूप से समझा जा सके, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली द्वारा अपेक्षित है।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

30. गोपनीयता के दावों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. उत्पादक/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने शेयरधारकों के नाम, उत्पादों की सूची, व्यापार चैनल आदि जैसी अनिवार्य सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है।
- ख. घरेलू उद्योग ने सूचना की अत्यधिक गोपनीयता का दावा नहीं किया है और प्राधिकारी की परिपाटी के अनुसार आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में पर्याप्त सूचना का प्रकटन किया है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर विभिन्न पक्षकारों के बीच ई-मेल पत्र के माध्यम से निरीक्षण हेतु सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।
32. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उप-नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार

निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”

33. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध किए गए अनुरोधों की, जहाँ तक संगत मानी गई सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा जाँच की गई और तदनुसार उनका समाधान किया गया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में विधिवत जाँच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

च. विविध

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. विविध मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
- क. प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से नोट करें कि अनहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लिमिटेड ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है और वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार भविष्य में नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र होगी।
 - ख. पहुंच मूल्य की गणना में ऋण लागत को शामिल करना न तो कानूनी रूप से औचित्यपूर्ण है और न ही लागू सांविधिक कार्य ढांचे से समर्थित है। भारत में विचाराधीन उत्पाद(पीयूसी) का पहुंच मूल्य सीआईएफ मूल्य और आधारभूत सीमा शुल्क तथा यथा लागू संगत उप-प्रभार हैं।
 - ग. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 को हटा दें क्योंकि एचएस कोड 8431 में केवल पुर्जे शामिल हैं।
 - घ. चीन जन.गण. से आयात पर निरंतर निर्भरता का कारण आयातित सामानों की बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा मानक हैं। आवेदक के उत्पादों को निष्पादन सुरक्षा दोनों के मामले में प्रचलित उद्योग मानदंडों से नीचे बताया गया है।
 - ड. उत्तरदाताओं ने सभी अपेक्षित परिशिष्ट और प्रश्नावली के उत्तर विधिवत प्रस्तुत किए हैं, सभी कमी पत्रों वाले का समाधान किया है और अनुरोध किए जाने पर प्राधिकारी को सत्यापन दस्तावेज तुरंत प्रदान किए हैं। यह भी अनुरोध किया गया है कि चीन जन.गण. और ओमान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कम से कम एक तरफ लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल्स" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी ने ग्लोबल

जिप्सम बोर्ड कंपनी, एलएलसी को एक व्यक्तिगत पाटन मार्जिन सौंपा, जो एक ओमान-आधारित कंपनी है जो बाजार अर्थव्यवस्था में काम कर रही है, भले ही इसने परिशिष्ट-7 और परिशिष्ट-8 प्रस्तुत नहीं किए, जो लागत आंकड़ों से संबंधित हैं।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

35. विविध मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 के लोप के संबंध में, यह अनुरोध है कि किसी भी एचएस कोड की चूक का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि यह रिकॉर्ड में दर्ज है कि क्षति की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात भी उक्त कोड के अंतर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध है कि शुल्क उत्पाद विवरण के आधार पर लगाया जाता है, न कि एचएस कोड के आधार पर, जो केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करता है कि वे हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से एचएस कोड को न हटाएँ।
- ख. वर्तमान जाँच का उद्देश्य नए शिपर समीक्षा के लिए किसी निर्यातक की पात्रता की जाँच करना नहीं है। प्राधिकारी ने अनेक जाँचों में यही दृष्टिकोण अपनाया है। इस संदर्भ में अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करने के लिए, प्राधिकारी का ध्यान यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य, रूस और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कैप्रोलैक्टम" के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच की ओर आकृष्ट किया जाता है [फा. सं. 6/39/2020 दिनांक 27 सितंबर, 2021]। तदनुसार, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि लियुगोंग चीन जन.गण. द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। प्राधिकारी के संदर्भ में आसानी के लिए जांच के संगत अंश नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांचना नहीं है कि निर्यातक नई शिपर समीक्षा के लिए पात्र है या नहीं। निर्यातक शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कानून के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।

- ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा कि पहुंच मूल्य की गणना न तो कानूनी रूप से उचित है और न ही लागू सांविधिक कार्य-ढांचे से समर्थित हैं, गलत, अतार्किक और इसीलिए इसे अस्वीकार किया जाता है। घरेलू उद्योग ने अपनी बाजार आसूचना के अनुसार निम्नानुसार अनुरोध किया है:

- क) संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक/आयातक अधिकतम तीन (3) वर्ष की ऋण अवधि प्रदान कर रहे हैं।
- ख) संबद्ध सामानों के उत्पादक/निर्यातक/आयातक घरेलू उद्योग की कीमतों को कम करने के लिए आयात-पश्चात छूट और रियायतें दे रहे हैं।
- ग) उत्पादकों/निर्यातकों के अपने संबद्ध आयातक/सहायक/संयुक्त उद्यम हैं, जो भारतीय बाजार में संबद्ध सामानों का व्यापार उनके क्रय मूल्य से कम पर अर्थात् घाटे में कर रहे हैं।
- घ. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों ने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण शर्तों/लागत, आयात-पश्चात छूट/रियायत और घाटे की सही सूचना नहीं दी होगी। ऐसे मामले में, पहुंच मूल्य आयातक द्वारा भुगतान की गई/देय वास्तविक कीमत को नहीं दर्शाता है।

- ड. यदि निर्यातक और आयातक या किसी तृतीय पक्ष के बीच कोई संबंध या प्रतिपूरक व्यवस्था है, तो कानून प्राधिकारी को यह जाँच करने का अधिकार देता है कि उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थे या नहीं। वर्तमान जाँच में सभी आयातक उत्पादकों/निर्यातकों से संबद्ध हैं, जो एक विशेष स्थिति है। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे कृपया उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध आयातकों के बीच व्यावसायिक संबंधों की पूरी तरह से जाँच करें।
- च. भुगतान दस्तावेजों की गहन जाँच करें क्योंकि उन्हें आशंका है कि संबद्ध आयातकों/निर्यातकों ने भुगतान नहीं किया होगा और उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध आयातकों के बीच लेन-देन फर्जी है। पाटन और क्षति मार्जिन की गणना के लिए निर्यात कीमत/पहुँच मूल्य में उचित समायोजन करने का अनुरोध किया गया था। कानून का संगत अंश नीचे दिया गया है।

9(क)(1)(ख) किसी वस्तु के संबंध में, "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या क्षेत्र से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और ऐसे मामलों में जहां कोई निर्यात कीमत नहीं है या जहां निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्षकार के बीच संबंध या प्रतिपूरक व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत अविश्वसनीय है, निर्यात कीमत उस कीमत के आधार पर निर्मित की जाए, जिस पर आयातित वस्तुओं को पहली बार किसी स्वतंत्र क्रेता को पुनः बेचा जाए या यदि वस्तु को किसी स्वतंत्र क्रेता को पुनः न बेचा जाए, या आयातित स्थिति में पुनः बिक्री न की जाए, तो ऐसे उचित आधार पर, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्धारित की जा सकती हैं;

- छ. प्राधिकारी ने कई जांचों में प्रभावी निर्यात कीमत और/अथवा पहुँच मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आयातक आदि द्वारा वहन की गई ऋण लागत, हानियों के निर्मित कीमत/ पहुँच मूल्य में समायोजन किए। इस संदर्भ में अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, चीन जन.गण. वियतनाम और कोरिया जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित एल्यूमीनियम और जिंक लेपित फ्लैट उत्पादों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच से संगत पाठ [फा. संख्या 6/4/2019-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, 2020] को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है।

86. भारत में उपर्युक्त पॉस्को सहायक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया से यह नोट किया जाता है कि उन्हें अपनी मूल कंपनी, अर्थात् पॉस्को से विभिन्न व्यापारिक माध्यमों से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई। चूँकि संबद्ध सामानों की बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम है, जिसमें सहायक कंपनियों के आयात कीमतें और एसजीए शामिल हैं, इसलिए उनकी पहुँच कीमत और निवल निर्यात कीमत से उपयुक्त समायोजन किया गया है। समुद्री माल दुलाई, अंतर्देशीय माल दुलाई, बीमा, ऋण लागत, पैकिंग लागत और बंदरगाह तथा अन्य संबद्ध खर्चों के निर्मित समायोजन की अनुमति दी गई है। निर्धारित निवल निर्यात कीमत पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

160. जैसा कि इस जांच परिणाम में पाटन मार्जिन विश्लेषण में उल्लेख किया गया है, कोरिया गणराज्य के कुछ उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर से यह नोट किया जाता है कि भारत में उनकी पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सहायक कंपनियों को विभिन्न व्यापारिक माध्यमों से अपनी मूल कंपनियों से आयातित संबद्ध सामानों की बिक्री के दौरान हानि हुई है। चूंकि संबद्ध सामानों की उनकी बिक्री कीमत उनकी खरीद कीमत से कम हैं, जिसमें भारतीय सहायक कंपनियों की आयात कीमतें और एसजीए शामिल हैं, इसलिए उनकी पहुंच कीमत से उपयुक्त समायोजन किए गए हैं।

ज. उपरोक्त मुद्दों की गहन जांच करना तथा उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबंधित आयातकों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों द्वारा उत्तर को स्वीकार न करना, यदि उन्होंने उपर्युक्त सूचना का पूर्णतः खुलासा नहीं किया है और साथ ही उन्हें व्यक्तिगत मार्जिन भी प्रदान न करना।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. अनहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लिमिटेड ने अंतिम जांच परिणामों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने का अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है, और इसलिए, वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 22 के अनुसार भविष्य में नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच का उद्देश्य यह जांच करना नहीं है कि निर्यातक नए शिपर समीक्षा के लिए पात्र है या नहीं। निर्यातक शुल्क लगाए जाने की स्थिति में कानून के अनुसार अपना दावा प्रस्तुत करने और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के लिए स्वतंत्र है।
37. एचएस कोड 84314990, 84314390, 84314920 को हटाने के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क उत्पाद विवरण के आधार पर लगाया जाता है, न कि एचएस कोड के आधार पर, जो केवल सांकेतिक उद्देश्य के लिए हैं।
38. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के उत्पादकों और निर्यातकों की ऋण लागत का समायोजन करने के दावे के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि निवल निर्यात कीमत की गणना में ऐसी ऋण लागत को समायोजित करना प्राधिकारी की सदैव से ही सतत परिपाटी रही है।
39. उत्पाद की गुणवत्ता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में, यह नोट किया जाए कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा यह सिद्ध करने के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद उनके उत्पाद के समान वस्तु नहीं हैं।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

40. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
 - क. प्रश्नावली का पूर्ण उत्तर दायर गया है और इसके सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के संबंध में पूरी सूचना प्रदान की गई है।
 - ख. प्राधिकारी को उत्तरदाता द्वारा दी गई वास्तविक सूचना के आधार पर व्यक्तिगत पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए।

- ग. हुनान जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और/या भारत को उसके निर्यात में शामिल नहीं है। इसलिए, हुनान जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड को प्रश्नावली का उत्तर दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, उत्तरदाताओं की भारत को निर्यात मूल्य श्रृंखला पूरी हो गई है।
- घ. उत्पादकों/निर्यातकों ने एमईटी का दावा नहीं किया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है।

छ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

41. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 8 के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए, क्योंकि पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी या डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की गई ढेरों पाटनरोधी जांचों के प्रयोजनों के लिए इसे एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है, जब तक कि संबंधित फर्म/उत्पादक/निर्यातक पैरा 8(2) में निर्धारित मानदंडों के आधार पर उक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम न हों।
- ख. चीनी फर्मों के लिए सामान्य मूल्य अनुबंध I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदकों ने चीन जन.गण. में घरेलू कीमतों की सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया। हालाँकि, आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों के लिए कोई कीमत विवरण प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि यह सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए, घरेलू उद्योग ने समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, विधिवत समायोजित, इसके लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।
- ग. उत्पादकों/निर्यातकों ने भारतीय और अपने घरेलू बाजार में संबद्ध माल के विनिर्माण/बिक्री में लगी सभी कंपनियों के लिए प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है। उनकी समझ के अनुसार, संबद्ध सामानों के विनिर्माण/बिक्री में लगी निम्नलिखित कंपनियों ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

एक्ससीएमजी समूह

- एक्ससीएमजी मार्केटिंग कंपनी
- जियांगसू एक्ससीएमजी ई-कॉमर्स कंपनी
- एक्ससीएमजी, निर्माण मशीनरी कंपनी लिमिटेड
- एक्ससीएमजी खनन मशीनरी कंपनी

सैनी समूह

- एसएएनवाई क्रॉलर क्रेन औद्योगिक पार्क
- टर्बो फ्लाई मशीन इंजीनियरिंग लिमिटेड
- चाइना वेल्थ हांगकांग मशीन लिमिटेड
- एसएएनवाई मोबाइल क्रेन और टावर क्रेन औद्योगिक पार्क

जूमलियन समूह

- हुनान जूमलियन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कंपनी लिमिटेड
- घ. इस मुद्दे की गहन जाँच करना और यदि मूल्य श्रृंखला प्राधिकारी की सतत कार्यप्रणाली के अनुसार पूरी नहीं होती है तो उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर को स्वीकार न करना।
- ङ. उनकी समझ के अनुसार, सैनी समूह और एक्ससीएमजी समूह ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दायर नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने मौखिक सुनवाई के दौरान स्वीकार किया है कि उन्होंने परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया कि चूँकि वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन प्रारूपों को दाखिल करना आवश्यक नहीं है, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं।
- च. उपर्युक्त प्रारूप सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं, चाहे वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का स्तर प्राप्त करने का दावा कर रहे हों या नहीं। हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कानून का हवाला नहीं दिया है जिसके तहत उन्हें उपर्युक्त प्रश्नावली प्रारूप दाखिल करने से छूट प्राप्त हो। उपरोक्त के मद्देनजर, घरेलू उद्योग ने एक्ससीएमजी, सैनी और जूमलियन समूह द्वारा दायर किए गए उत्तर को स्वीकार न करने का अनुरोध किया क्योंकि अन्यथा इससे कदाचार को बढ़ावा मिलेगा और एक गलत मिसाल कायम होगी।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

42. घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है, यह नोट किया जाता है कि सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर सूचना की सभी कंपनियों, जो भारत को निर्यात बिक्री चैनल में लगी हैं, ने उत्तर दायर किए हैं और इसलिए, मूल्य श्रृंखला पूर्ण है।
43. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उत्पादक/निर्यातक सैनी समूह और एक्ससीएमजी समूह ने प्रश्नावली का पूरा उत्तर दायर नहीं किया है। सैनी समूह के प्रश्नावली उत्तर से यह नोट किया गया कि उन्होंने परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। मौखिक सुनवाई के दौरान सैनी समूह द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 व्यापार सूचना संख्या 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 (जिसे आगे व्यापार सूचना कहा जाएगा) के अनुसार अनिवार्य प्रारूप है और सभी मामलों में दायर किए जाने आवश्यक हैं। उक्त व्यापार सूचना में चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों को कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।
44. यह भी नोट किया जाता है कि गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देश में स्थित उत्पादकों/निर्यातकों को, यदि वे बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त न करने का निर्णय लेते हैं, तो बाज़ार अर्थव्यवस्था की स्थितियों पर केवल पूरक प्रश्नावली ही दायर नहीं करनी होगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना के निर्देश संख्या 8(i) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "गैर-बाज़ार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में, जहाँ भाग लेने वाले उत्पादकों/निर्यातकों ने बाज़ार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने का दावा नहीं किया है, केवल उन संबद्ध उत्पादकों को, जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल हैं और जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया गया है, भाग I, II और III में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।" परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10, व्यापार सूचना के माध्यम से निर्धारित निर्यातकों के प्रश्नावली प्रारूप के भाग III में शामिल हैं।
45. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उपर्युक्त परिशिष्टों में मांगी गई सूचना परिशिष्ट 3क/3ख में दावा किए गए समायोजनों के साथ-साथ सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों की उत्पादन लागत की सत्यता का अनुमान लगाने/मान्य करने के लिए संगत हैं। यह नोट किया गया है कि केवल सैनी समूह ने

परिशिष्ट 6, 7, 8, 9 और 10 दायर नहीं किए हैं। ऐसी स्थिति में, सैनी समूह द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

46. प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्ससीएमजी इंप एंड एक्सप. कंपनी लिमिटेड (संबद्ध निर्यातक) ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट ख में क्रेडिट शर्तों का उल्लेख "****" के रूप में किया था। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया है कि बीजक संख्या *** के लिए, निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट अवधि का दावा "****" के रूप में किया है, जबकि उनके प्रश्नावली उत्तर के साथ संलग्न बिक्री संविदा के अवलोकन से पता चलता है कि इस बीजक के लिए क्रेडिट अवधि "****" है। संबद्ध निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में दर्शाई गई ऋण शर्त अंतर के लिए स्पष्टीकरण और प्राधिकारी द्वारा नमूना बिक्री दस्तावेज मांगे जाने के बाद ऋण अवधि को संशोधित किया है।
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले में ऋण लागत एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि संबद्ध निर्यातक द्वारा संबद्ध आयातक को तीन वर्ष तक की बहुत लंबी और असाधारण ऋण अवधि प्रदान की जाती है, जो सामान्य नहीं है। निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण शर्तों को स्पष्ट रूप से गलत बताया है। इसके अलावा, यह नोट किया गया है कि संबद्ध निर्यातक ने अपने प्रश्नावली के उत्तर में ऋण लागत प्रदान नहीं की है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऋण लागत परिशिष्ट 3क/3ख में दी जानी होती है।
48. यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध निर्यातक ने भुगतान सलाह का अंग्रेजी रूपांतर भी प्रदान नहीं किया है, इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सभी दस्तावेज और स्रोत सामग्री अंग्रेजी में होनी चाहिए। इसका बीजकों के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है। यह भी पाया गया है कि निर्यातक और संबद्ध उत्पादकों द्वारा दावा किए गए पीसीएन के बीच अंतर है। ऐसे में, एक्ससीएमजी समूह द्वारा दायर उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सामान्य मूल्य

49. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था है:

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

50. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, एक्सेशन प्रोटोकॉल के 15(क)(i) के अंतर्गत इस दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में किए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से इस नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मापदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

51. चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रश्नावली के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकल्पित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबंध देश के विकास के स्तर तथा संबंध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं की बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वानुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ. के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती हैं ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पत्ति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में

पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते हैं।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो”

52. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और इसमें यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी भी उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध के तहत प्रदान किए गए विभिन्न तर्कसंगत विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।
53. यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम और द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना के लिए पक्षकारों द्वारा कोई जानकारी/साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपरोक्त जानकारी/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी प्रथम या द्वितीय पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने में असमर्थ हैं। इसलिए, प्राधिकारी ने तृतीय पद्धति, अर्थात् जाँच अवधि के दौरान भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने का निर्णय लिया है। प्राधिकारी ने भारत में भुगतान की गई या देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की है।

निर्यात कीमत

हुनान जूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक), जूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (संबंधित उत्पादक/व्यापारी), जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड (संबंधित व्यापारी), जूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संबंधित आयातक) के लिए निर्यात कीमत

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हुनान जूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड और जूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड संबंधित उत्पादक/निर्यातक हैं, जिन्होंने संबंधित निर्यातक जूमलियन इंटरनेशनल ट्रेडिंग (एच.के.) कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संबंधित भारतीय ग्राहक जूमलियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अप्रत्यक्ष रूप से *** मशीनें निर्यात की हैं।

उत्पादक/निर्यातक ने पूर्ण प्रतिक्रिया दाखिल की है और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) निर्धारित करने के लिए सूचना प्रदान की है। समुद्री माल ढुलाई, अंतर्देशीय माल ढुलाई, ऋण लागत आदि के कारण होने वाले खर्चों को उनके निर्यात कीमतों से घटा दिया गया है। उपरोक्त व्ययों के समायोजन के बाद, भारत औसत निवल कारखाना-द्वार निर्यात कीमत निर्धारित की गई है और नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

55. चीन जनवादी गणराज्य के अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, निर्यात कीमत पाटन-रोधी नियमों की धारा 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाए गए हैं:

पाटन मार्जिन

56. संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	प्रति इकाई एनवी (यूएसडी/सं.)	प्रति इकाई एनवी (यूएसडी/सं.)	प्रति इकाई पाटन मार्जिन (यूएसडी/सं.)	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन % रेंज
ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड.	***	***	***	***	30-40
हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	100-110

ज. क्षति निर्धारण, क्षति की जाँच और कारणात्मक संबंध हेतु कार्यप्रणाली

ज.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

57. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है। कंपनी ने हर वित्तीय पहलू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ मार्जिन प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2023 की तुलना में, कुल आय 36% बढ़कर ₹2,991 करोड़ हो गई, ईबीआईटीडीए 83% बढ़कर ₹480 करोड़ हो गया, और कर-

पश्चात् लाभ 90% बढ़कर ₹328 करोड़ हो गया। हमारा ईपीएस लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहा है।

- ख. कंपनी ने मात्रा और मूल्य दोनों में पर्याप्त वृद्धि दर्शायी है, जिससे उसकी बैलेंस शीट की स्थिति और मजबूत हुई है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के सकल कारोबार में क्रेन का योगदान 72.28% रहा।
- ग. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन के लिए पुरानी तकनीकों का उपयोग करता है जिससे परिचालन लागत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, चीन जनवादी गणराज्य के विचाराधीन उत्पाद उत्पादकों के पास विचाराधीन उत्पाद के निर्माण के लिए ऐसी तकनीकें हैं जो घरेलू उद्योग द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों से अधिक उन्नत हैं। परिणामस्वरूप, निर्माण परियोजनाओं में डेवलपर्स स्वाभाविक रूप से घरेलू उद्योग से विचाराधीन उत्पाद खरीदने से हतोत्साहित होते हैं। यह इस तथ्य से और पुष्ट होता है कि आधार वर्ष (इस मामले में वित्त वर्ष 2021-22) और जांच अवधि के बीच घरेलू उद्योग की अंतिम सूची में लगभग 500% की वृद्धि हुई।
- घ. आयात मात्रा और समग्र मांग सूचकांक दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए आयात में वृद्धि आवश्यक है।
- ङ. 3 जुलाई 2025 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान आवेदक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसे कोई वित्तीय घाटा नहीं हो रहा है और वास्तव में वह नाममात्र का लाभ कमा रहा है।
- च. घरेलू उद्योग ने याचिका में कहा गया है कि संबद्ध वस्तुओं की उनकी घरेलू बिक्री में कमी आई है। प्रतिवादियों का दावा है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं की बिक्री मात्रा में कथित कमी सीधे तौर पर बाजार मांग में समग्र संकुचन के कारण है, न कि पाटित आयातों के किसी हानिकारक प्रभाव के कारण।
- छ. घरेलू उद्योग के वित्तीय आंकड़ों से क्षति जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी में उल्लेखनीय और अस्पष्टीकृत वृद्धि का पता चलता है, जो उत्पादन क्षमता में किसी भी तदनुरूपी वृद्धि के बिना हुई।
- ज. घरेलू बाजार में आयात में वृद्धि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण नहीं है, बल्कि घरेलू मांग में पर्याप्त वृद्धि की प्रत्यक्ष और अनुरूप प्रतिक्रिया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग स्वयं विभिन्न प्रमुख आर्थिक मापदंडों पर मजबूत प्रदर्शन कर रहा है, जिससे संबद्ध आयातों के कारण किसी भी प्रकार की सामग्री क्षति का पता नहीं चलता है।
- झ. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दर्शाते हैं कि जांच की अवधि (पीओआई) सहित क्षति अवधि के दौरान उसके घरेलू बिक्री कीमत में लगातार वृद्धि हुई है। कीमतों में यह वृद्धि समग्र मांग में कथित गिरावट के बावजूद हुई है, जिसका अर्थ है कि आवेदक को किसी भी कीमत हास या न्यूनीकरण कथित रूप से पाटित आयातों का सामना नहीं करना पड़ा है।

ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जनवादी गणराज्य से आयात आधार वर्ष में 243 मशीनों से बढ़कर जांच अवधि में 961 मशीनों तक पहुँच गया, अर्थात् लगभग 295% की वृद्धि हुई। चीन जनवादी

गणराज्य से आयात में यह पर्याप्त वृद्धि घरेलू उद्योग के वित्तीय प्रदर्शन पर आयात के हानिकारक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

- ख. चीन जनवादी गणराज्य से आयात, जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 100% है।
- ग. मांग में चीन जनवादी गणराज्य से आयात का हिस्सा 97% तक है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में चीन जनवादी गणराज्य का हिस्सा 12% बढ़ा। हालाँकि, इसी अवधि के दौरान समग्र मांग में वृद्धि के बावजूद, आवेदक की घरेलू बिक्री का मांग में हिस्सा 77% कम हो गया।
- घ. संबद्ध वस्तुओं के उत्पाद प्रकारों/पीसीएन की लागत/कीमत में महत्वपूर्ण भिन्नता है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए मूल्य कटौती के उद्देश्य से चीन जनवादी गणराज्य से आयातित केवल उन्हीं पीसीएन के पहुँच मूल्य पर विचार किया है, जिनका निर्माण और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू बाजार में की गई थी। मूल्य कटौती न केवल सकारात्मक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।
- ङ. बिक्री लागत और बिक्री कीमत की तुलना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबद्ध वस्तुओं के घरेलू बिक्री कीमत में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में जांच की अवधि में वृद्धि नहीं हुई है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
- च. चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों में वृद्धि के कारण उत्पादन में गिरावट के कारण उत्पादकता में गिरावट (आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 27% की गिरावट) आई।
- छ. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में 18% की उल्लेखनीय गिरावट आई।
- ज. वित्त वर्ष 21-22 में आरओसीई 255 (सूचकांक अंक) से जांच की अवधि में 89 (सूचकांक अंक) तक उल्लेखनीय रूप से कम हो गया।
- झ. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक हैं बल्कि महत्वपूर्ण भी हैं।
- ञ.. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा कि घरेलू उद्योग ने हर वित्तीय पहलू में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वित्त वर्ष 23 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान अपना अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ मार्जिन हासिल किया है, भ्रामक है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया दावा घरेलू उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी पर आधारित है, जिसमें एनपीयूसी भी शामिल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घरेलू उद्योग कई प्रकार के क्रेनों के विनिर्माण में लगा हुआ है। हालाँकि, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में केवल क्रॉलर क्रेन और ट्रक क्रेन शामिल हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के पास विचाराधीन उत्पाद की वास्तविक क्षति संबंधी जानकारी दाखिल की है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

59. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई सामग्री क्षति नहीं हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग ने वित्तीय दृष्टि से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और वित्त वर्ष 23 की तुलना में जाँच अवधि में अब तक का सर्वोच्च राजस्व, लाभ और लाभ

मार्जिन प्राप्त किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अन्य प्रकार के क्रेनों के निर्माण में भी लगा हुआ है, जो विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर हैं। ऐसे मामले में, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई समग्र वित्तीय जानकारी को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रस्तुत किए गए अनुरोध गलत हैं। जहाँ तक नियोजित पूँजी का प्रश्न है, यह देखा गया है कि यह वृद्धि कार्यशील पूँजी और संयंत्र एवं मशीनरी के अलावा अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण हुई है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि नहीं होती है।

60. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में किसी क्षति के निर्धारण में यह उपबंध है कि किसी क्षति जाँच में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए ..." ऐसे कारकों की जाँच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच करने के लिए उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया है।
61. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच के लिए, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सूचकांकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर नियमों के अनुबंध II के अनुसार विचार किया गया है।
62. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों पर ध्यान दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए अनुरोधों, जिन्हें प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माना गया है, की जाँच की गई है और उनका समाधान निम्नानुसार किया गया है।
63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट दर्शा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी सभी क्षति मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद यह निर्धारित करते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है या होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मानदंडों की वस्तुनिष्ठ रूप से जाँच की है।

ज.3.1. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) माँग का आकलन

64. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की माँग या प्रत्यक्ष खपत का निर्धारण घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में किया है। इस प्रकार आंकी गई माँग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
अन्य देशों से आयात	सं.	1	2	11	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	1100	0
अन्य घरेलू उत्पादकों से आयात	सं.	0	0	0	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	0
कुल मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	349	504	488

65. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 575 सूचकांक अंकों तक पहुँच गया।
- घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया गया है कि वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई। जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में भी वित्त वर्ष 20-21 (आधार वर्ष) की तुलना में गिरावट आई।
- संबद्ध वस्तुओं की मांग आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 488 सूचकांक अंकों तक पहुँच गई।

ख) आयात मात्रा और संबद्ध देश का हिस्सा

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के लेन-देन-वार आंकड़ों

पर भरोसा किया है। क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और उसका हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
भारत को कुल आयात	सं.	164	669	960	938
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	408	585	572
घरेलू उद्योग का उत्पादन	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	349	504	488
संबद्ध देश के आयात के संबंध में					
कुल आयात	%	99.4%	99.7%	98.9%	100.0%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	99	101
घरेलू उद्योग का उत्पादन	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	355	480	613
मांग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	116	118

67. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 613 सूचकांक अंक हो गया। घरेलू उत्पादन के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि में बढ़ा।
- क्षति की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 118 सूचकांक अंक हो गया।

ज.3.2. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों द्वारा कीमत में

उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में होती।

69. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कीमत हास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के आगमन मूल्य से की गई है।

क) कीमत कटौती

70. निष्पक्ष तुलना के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीसीएन के लिए जांच अवधि के दौरान कीमत कटौती नीचे दी गई है:

विवरण	यूओएम	कीमत कटौती
पहुंच कीमत	रु./सं.	12136571
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./सं.	***
कीमत कटौती	रु./सं.	***
कीमत कटौती	%	***
रेंज	रेंज	0%-10%

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय कीमत से कम है और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है।

ख) कीमत हास/न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं या हास कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक हास करना है या घरेलू कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक घटित हो सकती थी, प्राधिकारी तुलना के लिए घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीसीएन के लिए क्षति अवधि के दौरान लागत और कीमतों में हुए परिवर्तनों को नोट करते हैं।

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
बिक्री की लागत	रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99	112	118
बिक्री प्राप्ति	रु./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	111	115
पहुंच कीमत(पीसीएन डी आई द्वारा निर्मित)	रु./सं.	11022558	14126849	11731707	12136571
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	128	106	110

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री प्राप्ति से कम था। इससे घरेलू उद्योग पर कीमत हास का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में 2021-22 की तुलना में जांच अवधि में 19 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है, जबकि इसी

अवधि के दौरान पहुँच कीमत में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान बिक्री प्राप्त बिक्री लागत से कम है।

ज.3.3. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी उपबंध है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति संबंधी मानदंडों की निम्नलिखित रूप में चर्चा की गई है:

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

75. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और औसत मालसूची का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
स्थापित क्षमता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन (पीयूसी)	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
घरेलू बिक्री	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
औसत मालसूची	सूचीबद्ध	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	200	400

76. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- मांग में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग बहुत कम है।
- आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में 18 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में इसमें 27 सूचकांक अंकों की गिरावट आई है।
- चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण औसत मालसूची आधार वर्ष के 100 सूचकांक अंकों से जांच अवधि में 400 सूचकांक अंकों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई।

ख) बाजार हिस्सा

77. क्षति अवधि के दौरान बाजार हिस्सेदारी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
चीन जन.गण. से आयात	सं.	163	667	949	938
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	409	582	575
अन्य देशों से आयात	सं.	1	2	11	0
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	200	1100	0
घरेलू उद्योग की बिक्री	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	109	82
कुल मांग	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	349	504	488
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	19	22	17
चीन जन.गण. से आयात का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	116	118

78. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 575 सूचकांक अंक हो गया।
- क्षति की अवधि के दौरान चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। मांग में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में 118 सूचकांक अंक हो गया। घरेलू उत्पादन में चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तुओं के आयात का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान बढ़ा।
- घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 17 सूचकांक अंक हो गया। क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ और निवेश पर आय

79. क्षति अवधि के दौरान लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
कर पूर्व लाभ	रू./सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	1122	-208	-981
कर पूर्व लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	761	-226	-808
नकद लाभ	लाख रूपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	269	14	-197
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	182	0	-42

80. प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं:

- चीन जनवादी गणराज्य से पाटन के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की क्षति में वृद्धि हुई। प्रति इकाई घाटा आधार वर्ष में (100) सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि में (808) सूचकांक अंक हो गया।
- आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों का नकद लाभ जांच अवधि में (197) हो गया।
- आधार वर्ष में धनात्मक आरओसीई जांच अवधि में ऋणात्मक हो गया। आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों का आरओसीई जांच अवधि में (42) हो गया।

घ) मालसूची

81. क्षति अवधि के दौरान मालसूची के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
औसत मालसूची	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	200	400

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण जांच अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची में वृद्धि हुई है।

ड.) उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी

83. क्षति अवधि के दौरान उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी से संबंधित जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2020-21	2021-22	2022-23	पीओआई
प्रति दिवस उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	121	94
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	112	73
कर्मचारियों की संख्या	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	108	129
वेतन और मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	81

84. वित्त वर्ष 2022-23 और पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

च) वृद्धि

85. वृद्धि मानदंडों से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं।

विवरण	यूओएम	2021-22	2022-23	पीओआई
उत्पादन	%	15%	5%	-23%
घरेलू बिक्री	%	-35%	68%	-24%
पीबीटी (प्रति इकाई)	%	1122%	-120%	-373%
नकद लाभ (लाख)	%	169%	-95%	-1553%
आर ओ आई	%	82%	-100%	-14732%
मांग में बाजार हिस्सा	%	-81%	17%	-22%
मालसूची	%	0%	300%	100%

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का घाटा जांच अवधि के साथ-साथ वित्त वर्ष 22-23 में भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है। चीन जनवादी गणराज्य से पीयूसी की पाटन के कारण घरेलू उद्योग लाभकारी बिक्री कीमत प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि इसी अवधि के दौरान नकद लाभ, निवेश पर लाभ, बाजार हिस्सेदारी में भी गिरावट आई है।

छ) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

87. संबद्ध देशों से आयात कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों के अलावा अन्य कारक जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, आदि की जाँच से पता चलता है कि संबद्ध देश से आयातित सामान की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है, जिससे कीमत में कटौती हो रही है। कीमत में कटौती के कारण भारतीय बाजार में कीमत हास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता है।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

88. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की आगे कोई पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता काफी कम हो गई है। कंपनी का घाटा वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जांच अवधि में काफी बढ़ गया है। ऐसे में, घरेलू उद्योग आगे पूंजी निवेश जुटाने की स्थिति में नहीं है।

झ) पाटन मार्जिन का परिमाण

89. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण है।

I. गैर-आरोपण विश्लेषण

90. पाटनरोधी नियमों के अनुसार, प्राधिकारी को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। इस संबंध में प्रासंगिक कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित मूल्यों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, माँग में कमी या उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता शामिल हैं। नीचे इस बात की जाँच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त अन्य कारकों ने क्षति में योगदान दिया हो सकता है।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच अवधि के दौरान गैर-संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का कोई आयात नहीं हुआ है।

ख) माँग में संकुचन

92. वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट को छोड़कर, संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबंधित उत्पाद की माँग में निरंतर वृद्धि हुई है। इसलिए, माँग में संकुचन घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता।

ग) निर्यात निष्पादन और आबद्ध खपत

93. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। ऊपर जांची गई क्षति संबंधी जानकारी केवल घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है।

घ) प्रौद्योगिकी का विकास

94. प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है।

ड) कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन

95. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ केवल विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) से संबंधित जानकारी पर विचार किया है।

च) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

96. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएँ नहीं हैं जिन्हें घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति का कारण माना जा सके।

छ) उपभोग की पद्धति में परिवर्तन

97. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारत में उपभोग के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ज. क्षति मार्जिन का परिमाण

98. प्राधिकारी ने संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित मूल्य (एनआईपी) निर्धारित किया है। विचाराधीन उत्पाद की

क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई विधिवत सत्यापित उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। क्षति मार्जिन की गणना के लिए, क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आगमन मूल्य से की गई है। क्षति-रहित मूल्य (एनआईपी) निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल और उपयोगिताओं के यथासंभव सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या अनावर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से बाहर रखा गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात्, औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को नियमों के अनुबंध III में निर्धारित एनआईपी पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

99. उपर्युक्त निर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक/निर्यातक का नाम	प्रति इकाई एनआईपी (अम.\$)	प्रति इकाई पहुंचमूल्य (अम.\$)	प्रति इकाई क्षति मार्जिन (अम.\$)	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन % रेंज
ज़ूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
हुनान ज़ूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
अन्य	***	***	***	***	40-50

ट. भारतीय उद्योग का हित

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

100. वर्तमान मामले में पाटन-रोधी शुल्क लगाना जनहित के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा।
101. यह अनुरोध किया गया है कि क्रेन उच्च मूल्य वाली पूंजीगत वस्तुएँ हैं, और उनका अधिग्रहण उपयोगकर्ताओं जैसे क्रेन सेवा प्रदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। 80-90% तक के शुल्क लगाने से पीयूसी की खरीद की लागत अनिवार्य रूप से दोगुनी हो जाएगी, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए नई, तकनीकी रूप से उन्नत क्रेनों की खरीद आर्थिक रूप से अव्यवहारिक हो जाएगी। यह निषेधात्मक लागत उपयोगकर्ताओं, जो पीयूसी के प्राथमिक खरीदार हैं (चाहे वे घरेलू रूप से उत्पादित हों या आयातित), को बेड़े के विस्तार और आधुनिकीकरण को रोकने के लिए मजबूर करेगी। उपयोगकर्ता इस संभावना पर भी प्रकाश डालते हैं कि ऐसी निषेधात्मक लागतों के कारण उपयोगकर्ताओं को अपना परिचालन पूरी तरह से बंद करना पड़ सकता है, जिससे नौकरियाँ जाएँगी और बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी।

ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. अंतिम उपयोगकर्ता उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है, अर्थात् केवल 0.22%।

103. घरेलू उद्योग का उद्देश्य केवल संबद्ध वस्तुओं के अनुचित आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर समान अवसर प्रदान करना है, न कि आयातों पर प्रतिबंध लगाना।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जाँच

104. प्राधिकारी ने आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से पाटनरोधी जाँच के संबंध में विचार आमंत्रित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने आयातकों/उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वे वर्तमान जाँच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान कर सकें, जिसमें उनके कार्यों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अदला-बदली, उपभोक्ताओं की स्रोत बदलने की क्षमता, उपयोगकर्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव आदि के बारे में जानकारी मांगी।
105. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्यतः, पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपायों को लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है। व्यापार सुधारात्मक जाँच का उद्देश्य व्यापार विकृत करने वाले आयातों के विरुद्ध उचित शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करके घरेलू बाजार में समान प्रतिस्पर्धी अवसर बहाल करना है।
106. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान सिवाय वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में जाँच अवधि में मामूली गिरावट के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, । संबद्ध देश से आयात में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय उद्योग के पास देश की अधिकांश मांग को पूरा करने की क्षमता है ।

ठ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

107. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और क्षतिकारक कीमत अनुचित रूप से उच्च हैं। प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किए गए ऐसे उच्च सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने का अनुरोध किया जाता है। इतने उच्च शुल्क को लागू किया जाना अनुचित और अत्यधिक बोझिल है।
108. प्राधिकारी ने चीन जन. गण. से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्रकटीकरण विवरण में 100-110 प्रतिशत के पाटन मार्जिन और 70-80 प्रतिशत के क्षति मार्जिन का निर्धारण किया है। उत्तरदाता (जूमलियन ग्रुप) असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए उच्च पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण पर सहमत है। उत्तरदाताओं ने प्राधिकारी से अंतिम जांच परिणामों में भी इस निर्धारण की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।
109. वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क के मूल्यानुसार स्वरूप को निर्धारित किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तुएं प्रकृति से पूंजीगत वस्तुएं हैं। पूंजीगत वस्तुओं के

लिए मूल्यानुसार दरों के स्वरूप में पाटनरोधी शुल्क को निर्धारित करना प्राधिकारी का व्यवस्थित और सतत अभ्यास रहा है अर्थात् सीआईएफ मूल्य के प्रतिशतांक के रूप में पाटनरोधी शुल्क/अन्तर्निहित तर्क संगतता यह है कि पूंजीगत वस्तुओं में सामान्यतः छोटी और बड़ी क्षमता/आकार की मशीनें शामिल होती हैं और छोटी व बड़ी मशीनों की कीमतों के बीच पर्याप्त भिन्नता होती है।

110. प्राधिकारी ने हाल में समाप्त की गई निम्नलिखित पाटनरोधी जांचों में पूंजीगत वस्तुओं को शामिल करने वाली पाटनरोधी शुल्क के यथामूल्य स्वरूप अर्थात् सीआईएफ मूल्यों के प्रतिशत के रूप में की सिफारिश की है:-

- चीन जन. गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनों (पीपीएम) अथवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 मार्च, 2025 ।
- चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "व्हील लोडर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 29 सितंबर, 2023
- चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कटिंग, मार्किंग अथवा वेल्डिंग के लिए उपयुक्त इंडस्ट्रीयल लेजर मशीनों" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच - अंतिम जांच परिणाम दिनांक 27 सितंबर, 2023 ।

111. प्रकटन विवरण में उत्तरदाताओं का "लियुगोंग चाइना पीआर" अथवा "लियुगोंग चाइना" के रूप में संदर्भ दिया गया है। उत्तरदाता ने आदरपूर्वक यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को उपेक्षित करने के लिए अंतिम जांच परिणाम में पूर्ण और सही कानूनी नाम "अनुहुई लियुगोंग क्रेन कंपनी लि० का प्रयोग करना चाहिए।

112. प्राधिकारी ने केवल इस दावे के आधार पर उत्तरदाता (सानी ग्रुप) द्वारा प्रस्तुत किए गए संपूर्ण प्रश्नावली उत्तर को मनमाने और अनुचित तरीके से खारिज कर दिया है कि परिशिष्ट 6,7,8,9, और 10 को दायर नहीं किया गया था। यह उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रश्नावली में संगत और विश्वसनीय उत्तर दायर करने के बावजूद किया गया था।

113. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में निर्यात कीमत को निर्धारित करते समय नियम 6(8) के अंतर्गत प्राधिकारी को प्रदत्त किए गए विवेकाधिकार को गलत रूप से लागू किया है। इन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा परिशिष्ट 3क और 3ख के विधिवत रूप से दायर करने के बावजूद निर्यात कीमत का निर्माण करने के लिए नियम 6(8) के अंतर्गत उपलब्ध तथ्यों को गलत रूप से लागू किया है। यह प्रावधान के तहत इन्हें प्रदत्त किए गए विवेकाधिकार का घोर दुरुपयोग है और उसमें दिए गए कानून के विपरीत है।

114. प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए कानून और पद्धतियों का उल्लंघन किया है और वर्तमान जांच में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पर विचार करने में वे असफल रहे हैं। उत्तरदाताओं ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है और इसलिए उन्होंने वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्राप्त किया है। इसलिए, एक पूरक प्रश्नावली जारी करना प्राधिकारी की जिम्मेदारी बन जाता है, यदि उन्हें एनएमई पक्षकार के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त लागत परिशिष्टों की जरूरत है।
115. प्राधिकारी ने पीयूसी के प्रारंभिक रूप से निर्धारित किए गए दायरे में कानून का उल्लंघन किया है। प्रकटीकरण विवरण में नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग 180 मीट्रिक टन से अधिक लिफ्टिंग क्षमता वाले क्राउलर क्रेनों और 100 मी. टन से अधिक की क्षमता वाले ट्रक क्रेनों का उत्पादन करने में सक्षम है। केवल इसी कारण से, इन्होंने 260 मी. टन से अधिक की लिफ्टिंग क्षमता वाली क्राउलर क्रेनों और 160 मी. टन से अधिक लिफ्टिंग क्षमता वाले ट्रक क्रेनों को जांच के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया है।
116. प्राधिकारी ने जारी किए गए प्रकटीकरण विवरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण रूप से उल्लंघन किया है। इन्होंने उत्तरदाताओं द्वारा दायर प्रश्नावली उत्तर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।
117. एक्ससीएमजी ने इनके द्वारा जारी प्रश्नावली के उत्तर में सारी सूचना उपलब्ध कराई है और पूर्ण उत्तर प्रस्तुत किए हैं। उत्तरों में पीयूसी के लिए लागत निर्धारण और कीमतों के संबंध में सारे संगत परिशिष्ट शामिल हैं। सारी संगत जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद, डीजीटीआर ने बिना कोई उचित कारण बताए बिना इनके संपूर्ण प्रश्नावली उत्तर को गलत रूप से खारिज कर दिया है। प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण अनुरोधों को अस्वीकार करने के स्थान पर, प्राधिकारी को सिर्फ क्रेडिट लागत समायोजन को अस्वीकार कर देना चाहिए था और प्राधिकारी के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले वैकल्पिक उचित समायोजन को लागू करना चाहिए था अथवा रिकार्ड पर उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों को लागू करना चाहिए था। प्राधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में कार्य करना चाहिए। किसी एक समायोजन को अस्वीकृत करने के स्थान पर संपूर्ण प्रश्नावली को खारिज करने का प्राधिकारी का यह अभ्यास अनसुना और अनचाहा है। इसलिए, एक्ससीएमजी वर्तमान मामले के संबंध में विधिवत दायर प्रश्नावली उत्तरों और पहले किए गए अनुरोधों पर विचार करने के लिए डीजीटीआर से अनुरोध करता है।
118. एक्ससीएमजी अनुरोध करता है कि दायर किए गए प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3क में क्रेडिट लागत को इसलिए रिपोर्ट नहीं किया गया क्योंकि शिपमेंट से पहले सभी भुगतान शर्तें पूर्व भुगतान योग्य थीं, उत्तरदाता पहले ही विसंगति पत्रों के दौरान यह स्पष्टीकरण उपलब्ध करा चुका है और कंपनी पर ऐसी लागतों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए दबाव डालना उचित नहीं है जो कभी घटित नहीं हुईं। इसके अलावा, प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3ख में, क्रेडिट लागत को रिपोर्ट नहीं किया गया था क्योंकि यह परिशिष्ट संबंधित पक्षकार को की गई बिक्रियों से संबंधित है।

119. बिक्री प्रक्रिया में क्रेडिट लागत वहां उत्पन्न होती है, जहां विक्रेता एक भुगतान अवधि के कारण अस्थायी रूप से तत्काल भुगतान प्राप्त नहीं कर सकता और संभवतः उसे ऋण लेने या अन्य वित्तीय साधनों के जरिए आवश्यक परिचालन प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागतें भी हो सकती हैं। तथापि, संबद्ध कंपनियां अंततः उसी तीसरे पक्षकार के अंतिम नियंत्रण में हैं। इसलिए, संबंधित पक्षकारों के बीच भुगतानों में लचीलापन हो सकता है, विक्रेता को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां इसे किसी संबंधित कंपनी से भुगतान की शर्तों के कारण अनिवार्य परिचालन निधियों की कमी हो। परिणामस्वरूप, कंपनी विश्वास करती है कि संबंधित कंपनियों के बीच बिक्रियों में कोई क्रेडिट लागतें नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एक्ससीएमजी अनुरोध करती है कि चाहे प्राधिकारी को निर्यात कीमत को खारिज करने के लिए क्रेडिट लागतों को जोड़ने की आवश्यकता हो, तो भी वे समायोजन कर सकते हैं, जहां भी वे उचित समझें, क्योंकि हमने क्रेडिट लागत के परिकलन के लिए प्रयुक्त 4.35 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर उपलब्ध कराई है। अतः, प्राधिकारी द्वारा सिर्फ इसलिए एक्ससीएमजी के संपूर्ण उत्तरों को अस्वीकृत करना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने एक लागत के शून्य होने का दावा किया है।
120. डीजीटीआर का प्रकटन ट्रेड नोटिस सं. 6/2021 पर भरोसा करता है जो क्रेडिट लागतों को पहुंच मूल्य की संगणना में शामिल करता है। इसमें एक्ससीएमजी अनुरोध करता है कि ट्रेड नोटिस केवल प्रशासनिक उपकरण है जो डीजीटीआर अभ्यासों के संबंध में कार्यप्रणाली संबंधी दिशा-निर्देश और स्पष्टीकरण उपलब्ध कराते हैं और इनकी कोई प्रवर्तनीयता नहीं है। अतः, सीमा शुल्क अधिनियम, सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में निहित कानूनी रूप से बाध्यकारी संवैधानिक आदेशों पर व्यापार नोटिस को दी गई प्राथमिकता गलत है, पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है और इस मामले पर अंतिम निर्धारण के लिए समय रहते इसे सुधारा जाना चाहिए।
121. एक्ससीएमजी अनुरोध करते हैं कि इसने परिशिष्ट 3क और 3ख विधिवत दायर किए हैं जो निर्यात कीमतों के संबंध में संगत जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस सूचना को दायर करने के बावजूद, डीजीटीआर ने एडी नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार, निर्यात कीमत का निर्माण निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों को लागू किया है। यह प्रावधान के अंतर्गत इन्हें प्रदान किए गए विवेकाधिकार का पूर्णतः दुरुपयोग है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

122. सानी ग्रुप कंपनीज ने पूर्ण प्रश्नावली उत्तर दायर नहीं किया है। उत्पादकों/निर्यातकों ने परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 दायर नहीं किया है जैसाकि प्रकटीकरण विवरण के पैरा संख्या 45 से साक्ष्य है। सभी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा इन फार्मेटों को दायर करना अनिवार्य है चाहे वे बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा कर रहे हों अथवा नहीं जैसाकि दिनांक 29 जुलाई, 2021 के व्यापार नोटिस सं. 06/2021 के अनुदेश सं. 8(i) से साक्ष्य है। अन्य सभी उत्पादकों/निर्यातकों ने ऊपर उल्लिखित फार्मेट दायर किए हैं। प्राधिकारी ने सानी ग्रुप द्वारा दायर उत्तर को स्वीकार न करके सही किया है।

123. एक्ससीएमजी ग्रुप ने उच्चतम तीन (3) वर्षों की क्रेडिट अवधि का प्रस्ताव किया है। हालांकि, उन्होंने अपने प्रश्नावली उत्तर में इसकी गलत घोषणा की है जैसाकि प्रकटीकरण विवरण के पैरा सं. 46 और 47 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी है।
124. एक्ससीएमजी ग्रुप कंपनीज ने अपने संबंधित भारतीय ग्राहक को तीन (3) वर्षों की अनुचित और अभूतपूर्व उच्चतम क्रेडिट अवधि दी है। इसके अलावा, उन्होंने दिनांक 29 जुलाई, 2021 के ट्रेड नोटिस सं. 06/2021 के स्पष्ट उल्लंघन में समर्थक दस्तावेजों का अंग्रेजी पाठ प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी ने सही रूप से एक्ससीएमजी ग्रुप के प्रश्नावली उत्तर को अस्वीकृत किया है।
125. कानून प्राधिकारी को यह जांच करने में समर्थ बनाता है कि क्या उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यात सामान्य क्रम में किए गए थे अथवा नहीं, क्या निर्यातक और आयातक अथवा तीसरे पक्ष के बीच कोई संबंध या प्रतिपूरक व्यवस्था है अथवा नहीं। वर्तमान जांच में सभी आयातक उत्पादकों/ निर्यातकों से संबंधित हैं जो एक विशेष स्थिति है। ऐसे मामले में, संभवतः संबंधित आयातकों/निर्यातकों ने भुगतान भी नहीं किया है और उत्पादकों/निर्यातकों और उनके आयातकों के बीच हुआ लेन-देन नकली है।
126. प्राधिकारी को उसके सतत अभ्यास के रूप में, प्रभावी पहुंच मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मूल्य में समायोजन करने चाहिए ताकि एनआईपी और पहुंच मूल्य के बीच उचित तुलना की जा सके।
127. जैसाकि व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन पद्धतियों की आचार संहिता के पैरा 19.16 से साक्ष्य है, ब्याज लागत, निगमित कर और लाभ की वसूली के लिए घरेलू उद्योग को 22 प्रतिशत आरओसीई की अनुमति प्राप्त है। अपनी मानक निबंधन और शर्तों के भाग के रूप में घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को कोई क्रेडिट प्रस्तुत नहीं करता और डिलीवरी से पहले पूरे भुगतान को अदा किया जाना अनिवार्य है। भुगतान का एक भाग गैर-रिफंडयोग्य अग्रिम के रूप में प्राप्त किया गया है और बकाया उपकरण के प्रेषण के विरुद्ध किया जाता है। इसकी क्रय आदेशों / इनवॉयसिस से पुष्टि की जा सकती है जिसके कुछ नमूने पहले ही संलग्न किए गए थे। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा अदा किए गए ब्याज की लागत में क्रेडिट लागत को शामिल किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तदनुसार, प्राधिकारी को प्रभावी पहुंच मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पहुंच मूल्य में क्रेडिट लागत का समायोजन करना चाहिए ताकि एनआईपी और पहुंच मूल्य के बीच उचित तुलना की जा सके।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

128. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है और नोट किया है कि अधिकतर टिप्पणियों / अनुरोधों को दोहराया गया है जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के प्रासंगिक पैराओं में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया जा चुका है। संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा इसे प्रकटीकरण पश्चात जांच में नहीं दोहराया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों / अनुरोधों में पहली

बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझे गए मुद्दों की प्राधिकारी द्वारा जांच नीचे जांच की गई है।

129. जूमलियोन ग्रुप ने दावा किया है कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य और क्षतिरहित कीमत अनुचित रूप से उच्च है और प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के डाटा पर आधारित ऐसी उच्च सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षतिरहित कीमत को घरेलू उद्योग के सत्यापित डाटा / सूचना के आधार पर निर्धारित किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण पाटनरोधी नियमावली के प्रावधानों तथा प्राधिकारी के सतत अभ्यास के अनुसार किया गया है।
130. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा वर्तमान जांच में पाटनरोधी शुल्क के यथामूल्य रूप की सिफारिश करने के अनुरोध का संबंध है, यह नोट किया जा सकता है कि चूंकि, वर्तमान जांच में संबद्ध वस्तुएं पूंजीगत वस्तुओं और शामिल पीसीएन की बड़ी संख्या के स्वरूप में हैं, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क की संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशतांक के रूप में सिफारिश करना उचित होगा।
131. सानी ग्रुप ने दावा किया है कि प्राधिकारी ने केवल इस दावे के आधार पर उत्तरदाताओं द्वारा दायर पूर्ण प्रश्नावली उत्तर को असंवैधानिक और अनुचित ढंग से खारिज किया है कि प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 दायर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, यह दावा किया गया है कि प्राधिकारी ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए कानून और अभ्यास का उल्लंघन किया है और वर्तमान जांच में उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार करने में असफल रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी ट्रेड नोटिस सं. 06/2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 के संदर्भ में, निर्यातकों / उत्पादकों द्वारा परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 में निर्धारित किए गए फार्मेट्स के अनुसार डाटा/जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। चीन जन. गण. के उत्पादकों / निर्यातकों को उक्त ट्रेड नोटिस में कोई छूट / रियायत उपलब्ध नहीं कराई गई है। चाहे उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति का दावा किया हो अथवा नहीं।
132. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि ट्रेड नोटिस के अनुदेश संख्या 8(i) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देशों के मामले में, जहां प्रतिभागी उत्पादकों / निर्यातकों ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है, पीयूसी के उत्पादन में शामिल केवल उन संबंधित उत्पादकों, जिनका उत्पाद भारत को निर्यात किया जाता है, द्वारा भाग I, II और III में जानकारी उपलब्ध कराना अपेक्षित है।" परिशिष्ट 6,7,8,9 और 10 उक्त व्यापार नोटिस में निर्धारित निर्यातकों की प्रश्नावली फार्मेट के भाग III में शामिल है। ऊपर उल्लिखित परिशिष्टों में मांगी गई जानकारी परिशिष्ट 3क/3ख में दावा किए गए समायोजनों तथा सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के उत्पादन की लागत की शुद्धता के अनुमान / सत्यापन करने के लिए प्रासंगिक है।
133. एक्ससीएमजी ने दावा किया है कि उन्होंने विधिवत सारी सूचना उपलब्ध कराई है और प्रश्नावली के लिए पूर्ण उत्तर उपलब्ध कराए हैं, सारी संगत जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद, डीजीटीआर

ने उचित कारण बताए बिना उसके पूर्ण प्रश्नावली उत्तर को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक्ससीएमजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लि० (संबंधित निर्यातक) ने अपने प्रश्नावली उत्तर के परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट शर्तों का *** के रूप में उल्लेख किया है। इसके अलावा, इसमें यह नोट किया गया है कि इनवॉयस संख्या “***” के लिए, निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में क्रेडिट टर्म का “***” के रूप में दावा किया है जबकि उनके प्रश्नावली उत्तर के साथ संलग्न बिक्री संविदा का अध्ययन करने से, यह प्रकट होता है कि इस इनवॉयस के लिए क्रेडिट टर्म “***” है। संबंधित निर्यातक ने परिशिष्ट 3ख में बताई गई क्रेडिट टर्म में अंतर के बाद क्रेडिट टर्म को संशोधित किया है और प्राधिकारी द्वारा नमूना बिक्री दस्तावेजों की मांग की गई है।

134. यह नोट किया गया है कि इस मामले में क्रेडिट लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। संबंधित निर्यातक द्वारा संबंधित आयातक को तीन वर्षों की बहुत लंबी और असाधारण रूप से एक दीर्घ क्रेडिट अवधि उपलब्ध कराई गई जो कि सामान्य नहीं है। निर्यातक ने अपने प्रश्नावली उत्तर में क्रेडिट टर्म की स्पष्ट रूप से गलत घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, यह नोट किया गया है कि संबंधित निर्यातक ने इस तथ्य के बावजूद अपने प्रश्नावली उत्तर में क्रेडिट लागत को उपलब्ध नहीं कराया है कि ट्रेड नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि क्रेडिट लागत को परिशिष्ट 3क/3ख में उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। एक्ससीएमजी ने प्रकटीकरण पश्चात विवरण की टिप्पणियों में यह स्वीकार किया है कि संबंधित कंपनियां अंततः एक ही तीसरे पक्षकार के नियंत्रण में हैं और इसलिए, संबंधित पक्षकारों के बीच भुगतानों में लचीलापन है। यह नोट किया गया है कि एक्ससीएमजी ने प्रश्नावली उत्तर में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया है।
135. यह भी नोट किया गया है कि संबंधित निर्यातक ने इस तथ्य के बावजूद भुगतान परामर्श का अंग्रेजी पाठ भी उपलब्ध नहीं कराया है कि ट्रेड नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि इस प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों और स्रोत सामग्री अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। इसे इनवॉयसिस के साथ नहीं मिलाया जा सकता। आगे यह भी अवलोकन किया गया है कि निर्यातक और संबंधित उत्पादकों द्वारा दावा किए गए पीसीएन के बीच विसंगति है।

ड. निष्कर्ष

136. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों के संबंध में, जैसाकि उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकार्ड किया गया है और घरेलू उद्योग को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष देते हैं:-

- क) घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु एडी नियमावली, 1995 के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।
- ख) आवेदक नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थों के भीतर ‘घरेलू उद्योग’ ठहरता है और यह कि आवेदन नियमावली के नियम 5(3) की शर्तों में स्थिति के मापदंड को पूरा करता है।
- ग) संबद्ध देश से पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

- घ) घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के परिणाम के रूप में क्षति का सामना किया है।
- ड) क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- च) कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाला प्रतीत नहीं होता।

137. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों द्वारा क्षति पहुंचाई गई है।
138. सार्वजनिक हित के संबंध में यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क का डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर नकारात्मक प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

ढ. सिफारिश

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच आरंभ की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्तों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। नियमावली के नियम 5(3) के तहत जांच शुरुआत करने और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के अनुसरण में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17(i) (क) के तहत यथा अपेक्षित है और संबद्ध देश से संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग को स्थापित महत्वपूर्ण क्षति के संबंध में जांच आयोजित करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने की सिफारिश करते हैं।
140. विचाराधीन उत्पाद के स्वरूप और शामिल पीसीएन की बृहत संख्या पर विचार करते हुए, प्राधिकारी विचार करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की आयात कीमत के सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना उचित होगा।
141. इसके अलावा, कमतर शुल्क नियम के संबंध में, जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 (i)(ख) में निर्दिष्ट किया गया है, प्राधिकारी इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन में से कमतर के समकक्ष निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार, केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से लागू किए जाने के लिए, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में सांकेतिक सीआईएफ मूल्य के प्रतिशत के रूप में दी गई राशि के समकक्ष पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश की जाती है:-

शुल्क तालिका

क्र.सं.	सीमा शुल्क टैरिफ पंक्ति*	वस्तुओं का विवरण**	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	शुल्क (अमरीकी डॉलर में सीआईएफ मूल्य का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
1	8426	कतिपय क्रेन	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	जूमलियन हेवी इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	24.87%
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	हुनान जूमलियन क्रॉलर क्रेन कंपनी लिमिटेड	24.87%
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई अन्य उत्पादक	52.03%
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई देश	चीन जन. गण.	कोई अन्य उत्पादक	52.03%

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पादके दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** निम्नलिखित प्रकार के विशेष क्रेनों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के भीतर शामिल किया गया है।

क. 40 मी. टन से 260 मी. टन की लिफ्टिंग क्षमता के साथ क्राउलर क्रेन्स, चाहे वे पूरी तरह से संकलित हो, अर्ध संकलित अथवा असंकलित रूप में हों।

ख. 25 मी. टन से 160 मी. टन तक की लिफ्टिंग क्षमता के साथ ट्रक क्रेन्स चाहे वे पूरी तरह से संकलित हो, अर्ध रूप से संकलित हो या असंकलित रूप में हों।

निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है:-

i. रफ टैरेन क्रेन्स

ii. "160 मी. टन और उससे अधिक क्षमता वाली ऑल-टैरेन क्रेन्स" जो ट्रक माउंटिड क्रेन्स हैं और जो विभिन्न टैरेन्स पर प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए डिजाइन की गई हैं और जिनकी निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:-

क. 2 इंजन

- ख. हाइड्रॉलिक तेल और कम्प्रेस्ड गैस का उपयोग करते हुए सभी एक्सेल्स पर हाइड्रोन्यूमेटिक्स सस्पेंशन प्रणाली;
- ग. एकाधिक स्टियरिंग मोड के साथ सभी एक्सेल्स की स्टियरिंग / टर्निंग;
- घ. सभी या कम से कम 3 एक्सेल्स पर मल्टी - एक्सेल ड्राइव;
- ड. स्वचालित ट्रांसमिशन; और
- च. छः से अधिक खंडों के बूम और एकल सिलेंडर तंत्र के माध्यम से प्राप्त टेली स्कोपिंग ।

iii. क्रेन्स के स्वतंत्र हिस्से पुर्जो।

ण. आगे की प्रक्रिया

142. अंतिम जांच परिणामों से उत्पन्न प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्याधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2025

FINAL FINDINGS

Case No. AD (OI)-39/2024

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Cranes” originating in or exported from China PR.

A BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/24/2024-DGTR: - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (“AD Rules, 1995” or the “AD Rules” or the “Rules”).

1. M/s Action Construction Equipment Ltd. (ACE) (“domestic industry” or the “applicant”) had filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as the “Customs Tariff Act”) and the AD Rules, 1995 for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Certain Cranes” (“product under consideration” or the “subject goods” or “PUC”) originating in or exported from China PR (“subject country”).
2. The Authority, on the basis of sufficient prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice *vide* Notification No. 6/24/2024-DGTR dated 30 September 2024, published in the

Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Customs Tariff Act read with Rule 5 of the AD Rules, 1995 to determine the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B PROCEDURE

3. The following procedure has been followed with regard to this investigation:

- a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules, 1995.
- b. The Authority issued a public notice dated 30th September, 2024, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- c. The POI for the present investigation is April 2023 to March 2024 (12 months). The injury investigation period for the present investigation is April 2020 – March 2021, April 2021 – March 2022, April 2022 – March 2023 and the POI.
- d. The Authority sent a copy of the initiation notification on 3rd October 2024 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, the known importers/users of the subject goods and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and to make their submissions known in writing within the time limit prescribed by the initiation notification.
- e. The Authority also circulated copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995.
- f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification.
- g. The interested parties were granted an opportunity to present their comments on the issues of confidentiality claimed by the other interested parties within 7 days of the circulation of the non-confidential version of the document filed before the Authority.
- h. The Authority also issued an economic interest questionnaire (hereafter referred to as 'EIQ') to the interested parties seeking inputs on the economic impact of the proposed duties.
- i. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules, 1995:
 - i. Sany International Development
 - ii. Xuzhou Construction Machinery

- iii. Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Ltd.
- j. The following producers/ exporters of the product under consideration from subject country have filed the questionnaire response within the time-limit prescribed by the Authority:
- i. Sany International Development Limited
 - ii. Zhejiang Sany Equipment Co., Ltd.
 - iii. Sany Automobile Hoisting Machinery Co. Ltd.
 - iv. Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.
 - v. Zoomlion International Trading (H.K) Co. Ltd.
 - vi. Zoomlion India Private Ltd.
 - vii. Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Ltd.,
 - viii. Xuzhou Construction Machinery Group Imp.&Exp. Co. Ltd.
- k. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. Dewanchand Ramsaran Corporation Private Limited
 - ii. Macawber Beekay Private Limited
 - iii. Samarth Lifters Private Limited
 - iv. Sany Heavy Industry India Private Limited
 - v. Schwing Stetter (India) Private Limited
 - vi. Zoomlion India Private Limited
- l. The Authority notes that the following importers/users who have registered in the subject investigation have participated by filing the questionnaire response.
- i. Sany Heavy Industry India Pvt Ltd,
 - ii. Amrik Singh & Sons Crane Services Pvt.
 - iii. Oasis Infrastructure Pvt. Ltd.
 - iv. Shethia Erectors and Materials Handlers Ltd.
 - v. Samarth Lifters Pvt. Ltd.
 - vi. Barkat Cranes and Equipments Pvt. Ltd.
 - vii. Dewanchand Ramasaran Corporation Pvt. Ltd.
 - viii. Dwarkesh Transport Corporation
 - ix. Shri Dinesh Crane Services
- m. The producers/exporters from the subject country who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non-cooperative in the investigation.
- n. Interested parties were provided 30 days from the date of the initiation notification to file their comments on the scope of PUC and Product Control Number (“PCN”) methodology. The last date to file comments on PUC/PCN was 30th October, 2024, which was further extended till 10th November, 2024 *vide* notice dated 4th November, 2024.
- o. The Authority received comments from various interested parties regarding the scope of the PUC and PCN methodology. Thereafter, the Authority held a meeting on the scope of PUC and PCN methodology on 14th November, 2024. Thereafter, the Authority notified the final

scope of PUC and PCN methodology *vide* its notice dated 5th December 2024 after examining the comments/ submissions submitted by interested parties as per the timeline stipulated by the Authority both prior to and following the meeting and taking into account the discussions that took place during the meeting.

- p. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered for the present disclosure statement.
- q. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through an oral hearing held on 3rd July, 2025. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions with the other interested parties.
- r. The non-injurious price (hereinafter referred to as the “NIP”) has been determined based on the cost of production and reasonable return on capital employed for the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- s. The information submitted by the domestic industry has been examined and verified to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present disclosure statement.
- t. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject country was also carried out to the extent deemed necessary and the same has been relied upon for the purpose of the present disclosure statement.
- u. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 01/2020 dated 10th April 2020. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied concerning the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- v. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 25 August 2025. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority has not been repeated for the sake of brevity.

- w. The Authority has considered all the relevant arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- x. ‘****’ in the disclosure statement represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- y. The exchange rate for the POI adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= INR 83.70

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. The product under consideration as defined at the stage of initiation is as follows-

3. The product under consideration in the present investigation is "Certain Cranes", (hereinafter also referred to as the "product under consideration" or the "subject goods"). The product under consideration is Cranes of the following types:

- a. Crawler Cranes having lifting capacity from 40 MT to 260 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.*
- b. Truck Cranes with lifting capacity from 25 MT to 160 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.*

4. The subject goods are used for loading / unloading, shifting of material, erection etc. at project sites like infrastructure projects, roads & bridges, refinery, cement plants and any other industrial projects.

5. The product under consideration is classified under chapter heading 8426. The subject goods are also imported in HS Codes 84264100, 84264900, 84314990, 84314390, 84314920, 84314390 during injury period. The customs classification may kindly be treated as indicative, and not binding on the scope of the product under consideration.

5. The applicant has proposed the following PCN methodology:

Sl. No	Type	Value	PCN Code
1	Category / Type of Machine	Crawler Crane	CC
		Truck Crane	TC
2	Load Capacity in MT (Illustrative)	25 MT	025
		40 MT	040
		45 MT	045
		50 MT	050
		55 MT	055
		60 MT	060
		65 MT	065
		70 MT	070
		75 MT	075
		80 MT	080
		85 MT	085
		90 MT	090
		100 MT etc.	100

C.1. Submissions made by the other interested parties

6. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to scope of product under consideration and PCN methodology:
- a. Sany group has claimed that the Domestic Industry during the entire injury period and Period of investigation has only produced Crawler Cranes between 40 MT to 81 MT only and truck cranes from 25 MT to 60 MT. Accordingly, Truck Cranes above 60 MT and Crawler Cranes above 81 MT may be excluded from the scope of the investigation. The detailed product specifications along with the brochures are provided at the website of the applicant industry.
 - b. Zoomlion has requested to exclude Crawler cranes having lifting capacity of more than 180 MT and Truck Cranes having lifting capacity of more than 100 MT from the scope of PUC as they understand that the domestic industry is not producing crawler cranes having lifting capacity of more than 180 MT and Truck Cranes having lifting capacity of more than 100 MT. There are fundamental differences in terms of technology, machinery, production process for crawler cranes having lifting capacity of more than 180 MT.
 - c. Petitioner has specifically requested for the inclusion of only two types of cranes, i.e., truck and crawler cranes. Accordingly, all other types of cranes, such as (i) all-terrain cranes, (ii) rough terrain cranes, and (iii) telescopic boom crawler cranes, are excluded from the scope of the PUC.
 - d. The proposed Product Control Number (PCN) methodology should account for key distinctions among cranes, especially in terms of loading capacity, boom size, and chassis structure, telescopic boom etc. There is significant cost / price difference that justifies the adoption of PCNs for the telescopic boom crane.
 - e. Clarify that 'Standalone parts of Cranes' are not covered within the scope of the PUC. The Authority is requested to omit reference to HS codes 84314990, 84314390, 84314920 while prescribing the final scope of PUC because HS code 8431 only covers parts.
 - f. Para. 3.10 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations ("DGTR Manual") states that the PUC should preferably include those items, which are produced and commercially sold in the domestic market by the respective DI.
 - g. The product type which is not sold by the DI in commercial quantities, should not be included in the scope of the PUC.

C.2. Submissions made by the domestic industry

7. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of the product under consideration and PCN methodology:
- a. Sany has claimed that domestic Industry during the entire injury period and Period of investigation has only produced Crawler Cranes between 40 MT to 81 MT only and truck cranes from 25 MT to 60 MT. On the contrary, other interested party namely Zoomlion has claimed that the domestic industry is not producing crawler cranes having lifting capacity of more than 180 MT and Truck Cranes having lifting capacity of more than 100 MT.
 - b. The domestic industry has, as a matter of fact, manufactured and sold Crawler Cranes upto 180 MT. As regards Crawler Cranes above 180 MT, the Domestic Industry is fully competent to produce the same as they have the required technology. The same can be produced and supplied as and when any orders are received. Same is the situation with regard to Truck Cranes above 100 MT.

- c. Without prejudice, it is submitted that there is no requirement under the law mandating to produce each and every model. It may be noted that PUC is a customized / tailor-made high value product and not a commodity product. The domestic industry has not manufactured some models due to aggressive dumping from China PR and resultant lack of orders. It is for this reason that it is the consistent practice of the Authority to include those variants/types in the scope of the investigation which were not manufactured by the domestic industry during the POI on the ground that the domestic industry had the capability to manufacture the same and both the products are comparable. In order to substantiate their submission in this context, relevant excerpts have been reproduced from some Final Findings (illustrative) as below.

Anti-dumping investigation concerning imports of "Wheel Loaders" originating in or exported from China PR [F. No. 6/4/2022-DGTR dated 29 September, 2023]

14. With regard to the other submissions made by interested parties in relation to wheel loaders having rated payload capacity of 4,500 KG and under 2,000 KG, the Authority notes that the products covered within the scope of the PUC in an investigation need not be interchangeable. The products included are only required to be comparable.

Anti-Dumping Investigations concerning imports of SDH Equipment originating in or exported from China PR and Israel [F. No. 14/2/2009-DGAD dated 19 October, 2010]

*35. c. STM-256 – Admittedly, STM-256 was neither imported during the investigation period nor supplied by the domestic industry. Investigation conducted at the premises of the petitioner and foreign producers clearly showed that STM-256 can be described as the new generation SDH equipment. The investigation has not shown that if STM 256 was exported by foreign producers, the domestic industry did not offer STM-256. In fact, the interested parties agreed that technical approvals/permissions to deploy SDH-256 are not even in place in the country. The Authority observes that a claim for exclusion of a particular type cannot be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non-supply of like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India. The Authority holds that no grounds have been made out justifying exclusion of STM 256. Moreover, the investigating team was given access to STM-256 equipment, manufactured by Tejas and available in their premises in Bangalore. Tejas showed that it has made significant investment (Rs. ***** crores) so far in development of this product and claimed that the equipment could be sold only if some party placed an order for the same.*

Anti-dumping investigation concerning imports of "Saturated Fatty Alcohols" originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Saudi Arabia [F. No. 14/51/2016-DGAD dated 23 April, 2018]

g. As regards exclusion of pure form of C12 and C14 alcohols, the Authority finds force in the argument of the domestic industry that it has produced and sold C12&C14 alcohol. In fact, C12C14 has the most demand in India. When the domestic industry has sold the blended form of these alcohols, the pure forms cannot be excluded, as such exclusion would defeat the very purpose of the duty. The Authority also takes note of the final findings of the Director General, Safeguards that these items are interchangeable and originate out of identical raw material by an identical manufacturing process. Thus, there is no warrant for the exclusion of C12 and C14 grades of fatty alcohols.

The above findings of the Authority have been confirmed by the Hon'ble CESTAT, New Delhi vide Final Order No. 50010-50013/2023 dated 06.01.2023, wherein it was observed as under:

“34. There is, therefore, no error in the finding recorded by the designated authority in including pure cuts C12 and C14 in the product under consideration.”

Anti-dumping investigations on the imports of “Self-Adhesive Vinyl (SAV)” originating in or exported from China PR [F. No. dated 28 December, 2023]

16. As regards, certain specialty SAVs for which specific exclusion has been sought by the other interested parties on the grounds that the domestic industry has not produced and commercially sold the same, the Authority notes that the domestic industry has submitted a detailed list and proof of product types produced and sold by them, though in small quantities, because of the lack of orders due to dumped imports, and also claimed that other products can be produced in the same set of plant and equipment as and when demanded as there is no material difference in the production process for producing these product types. Examination of the production process of some of the responding exporters also shows that the process is essentially the same. Further, the Authority notes that the ratio of the case decided by the Hon'ble CESTAT Technova Imaging Systems Vs Union of India & Ors., is not applicable to this case as it has been demonstrated that the plant and equipment available with the applicant has the capability and flexibility to produce and supply all types of SAV, except the ones specifically excluded by the applicant.

- d. The domestic industry has the capability to manufacture all types of PUC with all load / lifting capacity. However, the actual manufacture and supply depends on the dumping from China PR and order placed by the customers.
- e. The Authority may exclude Truck Cranes of lifting capacity of more than 160 MT since there is no demand of the same in the Indian market. Further, it may also be noted that the demand for Truck Cranes of lifting capacity of more than 160 MT is also very limited globally. The same may be cross-checked from the import data of PUC for the period of injury.
- f. As regards to the submissions made by the interested parties that domestic industry has restricted the scope of Crawler Cranes to the lifting capacity of 260 MT which implies that they do not have the ability to manufacture high lifting capacity machines. In this regard the applicant has submitted that they have restricted the scope of Crawler Cranes to the lifting capacity of 260 MT since Indian demand for Crawler Cranes with lifting capacity of more than 260 MT is very small.
- g. With regard to the product brochure, it has been submitted that a brochure is indicative of the running models and it is neither required by law nor there is any norm to mention each and every model / capacity that can be manufactured by the domestic industry.
- h. As regards exclusion of All terrain cranes, the applicant has submitted that all Terrain Crane of 160 MT and above are not covered within the scope of the PUC. However, it may be noted that All Terrain Crane is also a type of Truck crane. Accordingly, there is every possibility that producers / exporters from China PR may export Truck Cranes as All Terrain Cranes to circumvent the anti-dumping duties unless the same is defined appropriately. Therefore, the Authority has been requested to define the term “All Terrain Cranes” in the Final Findings to avoid the possibility of circumvention.

- i. The applicant has requested the Authority to mention the following paragraph in the final findings to avoid the possibility of circumvention.

“For removal of any doubts, it is clarified that the above-mentioned “All terrain cranes” is excluded from the scope of the PUC only if it satisfies all of the above conditions concurrently.”

- j. Our proposal is also in line within the recent decision of the Authority in the case of Wheel Loaders Anti-dumping investigation [FF dated 29.09.2023].
- k. With regard to Rough Terrain cranes, it is submitted that the Authority may clarify in the findings that the same are not covered within the scope of PUC.
- l. As regards Telescopic boom crawler cranes, it is submitted that the Domestic Industry has manufactured telescopic boom within the POI. The domestic industry mounts fixed boom or telescopic boom on Crawler Crane based on the requirement of a customer. Accordingly, the domestic industry can supply Crawler Cranes both with fixed boom as well as telescopic boom based on the requirement of a customer. Therefore, there is no question of excluding such cranes.
- m. The request made by the interested parties to consider boom size, and chassis structure etc. except telescopic boom in the PCN methodology is misleading, wrong, and hence, denied. The domestic industry submits that Cranes are described by their lifting capacity in Metric Tons (MT) and type (like Crawler / Truck / All Terrain Cranes etc.). The sizes of key parts like boom, chassis etc. increase with the increase in the load capacity of the Cranes. Accordingly, the cost / price of a Cranes also increases. The representative of Sany India has also accepted this fact during the meeting.
- n. None of the interested parties has provided any details to support their claim that the prices/costs vary with different Boom Length, Chassis etc. and the same are not captured by the load capacity. The claims made by the interested parties are hollow and devoid of any substance. It may be noted that as a matter of consistent practice of the Authority, PCNs are made when all the below mentioned conditions are satisfied:

a) Difference in price shall be attributed to each of the parameters proposed for PCNs. Interested parties have to establish whether and to what extent the difference in the cost of production of different types / models is due to difference in the product characteristics / proposed PCN parameters and the extent to which the difference in the costs is due to time period. However, no such information has been provided by the interested parties in the present case.

b) It may also be noted that the proposed PCN parameters are also not available in the import data to facilitate cross-checking of the claim of the interested parties. In the present case, the proposed PCN parameter by the interested party cannot be cross-verified from the import data. The interested parties have raised this issue only to mislead the Authority and create confusion.

It is submitted that it is the sole responsibility of the party requesting for addition of any variable/attribute to the PCN to demonstrate that addition of any variable would materially affect the price comparability. No such information, let alone evidence, has been filed by any of the interested parties. The claims of the interested parties, therefore, need to be rejected outrightly.

- o. In order to substantiate our submission in this context, relevant excerpts from the recent Final Findings of Anti-dumping investigation concerning imports of “Wheel Loaders” originating in

or exported from China PR [F. No. 6/4/2022-DGTR dated 29 September, 2023] are provided below. The Authority has taken the same view in plethora of investigations.

33. With regard to the additional PCN parameters (such as transmission, brakes and pumps) proposed by certain interested parties, the Authority notes that the interested parties have provided no evidence to establish that these additional parameters make a notable difference to the price comparison of the PUC warranting a separate PCN parameter. In other words, no evidence has been provided to establish that the inclusion of these additional parameters would enable a fairer comparison of dumping or injury. On the other hand, the Domestic Industry has provided substantive data to demonstrate that the difference in cost of Wheel Loaders on the basis of these additional parameters suggested by the interested parties is not significant. Accordingly, after examining the submissions of the interested parties, the Authority did not deem it necessary to modify the PCN methodology.

- p. The Authority may include telescopic boom in the PCN methodology.
- q. As regards the claim made by the interested parties to clarify that 'Standalone parts of Cranes' are not covered within the scope of the PUC, it is submitted that Crawler Cranes and Truck Cranes imported only in Assembled / Semi assembled / dis-assembled forms i.e., CBU / CKD / SKD form are covered within the scope of PUC. Accordingly, the Authority may clarify that 'Standalone parts of Cranes' are not covered within the scope of the PUC.

C.3. Examination by the Authority

8. The Authority has examined the submissions regarding the scope of PUC and PCN methodology made by the interested parties herein as under:
9. Interested parties have claimed exclusion of various products from the scope of the PUC. It has been noted that while Sany group has claimed that domestic Industry during the entire injury period and Period of investigation has only produced Crawler Cranes between 40 MT to 81 MT only & truck cranes from 25 MT to 60 MT, Zoomlion group has claimed that the domestic industry is not producing crawler cranes having lifting capacity of more than 180 MT and Truck Cranes having lifting capacity of more than 100 MT. The domestic industry has submitted that Authority may exclude Truck Cranes of lifting capacity of above 160 MT and Crawler Crane of more than 260 MT as the demand for the same is very limited. The domestic industry has claimed that they have not manufactured some models due to aggressive dumping from China PR and resultant lack of orders. They have further claimed that the actual manufacture and supply depends on the dumping from China PR and order placed by the customers.
10. The Authority notes that PUC is a customized / tailor-made high value product and not a commodity product. The Authority notes that the domestic industry manufactured and sold Crawler Cranes upto 180 MT during the POI. As regards Crawler Cranes of above 180 MT and Truck Cranes of above 100 MT, the Authority notes the claim of the domestic industry that they are capable of producing the same with the existing technology and infrastructure. During the on-site verification of the domestic industry, it was explained that manufacturing of PUC with higher lifting capacity does not require any additional plant & machinery and infrastructure since major process of manufacturing any lifting capacity of the PUC involves fabrication.
11. The Authority finds that the scope of the 'product concerned' directly influences the objectives and effectiveness of the investigation. An overly broad product scope may lead to unwarranted protection

and introduce unnecessary complexities into the investigative process. Conversely, an overly narrow scope may fall short of addressing the issue of injurious dumping in the domestic market and could result in ongoing injury, as importers or users may circumvent the imposed remedies.

12. The Authority excludes Crawler Cranes above 260 MT and Truck Cranes above 160 MT considering the submissions made by the interested parties and the domestic industry on the scope of PUC.
13. With regard to exclusion of All terrain cranes without any lifting capacity, the authority notes that All Terrain Crane is also a type of Truck crane. From the analysis of the import data for the POI, it indicates that All Terrain Crane is mainly imported of 160 MT and above lifting capacity. All Terrain Cranes can be substituted in place of Truck Cranes to circumvent the anti-dumping duties. Therefore, it is not appropriate to exclude All Terrain Cranes below 160 MT from the scope of PUC.
14. The interested parties have requested to clarify that Rough Terrain cranes are not included within the scope of PUC. The Authority notes that the same is not covered within the scope of PUC.
15. With regard to the submissions made by the interested parties for exclusion of standalone part of cranes, the Authority notes that standalone parts of cranes are not covered within the scope of PUC.
16. As regards exclusion of telescopic boom crawler cranes, the Authority notes that the Domestic Industry has manufactured telescopic boom during the POI. The type of boom i.e., fixed or telescopic boom depends on the requirement of a customer. In such a case, telescopic boom crawler crane is not excluded from the scope of PUC.
17. The interested parties have requested to consider boom size, type of boom, chassis structure etc. in the PCN methodology. The Authority notes that Cranes are described by their lifting capacity in Metric Tons (MT) and type (like Crawler / Truck / All Terrain Cranes etc.). The sizes of key parts like boom, chassis etc. increase with the increase in the load capacity of the Cranes. The cost & price of a Crane also increases accordingly. It has been also noted that none of the interested parties have demonstrated with evidence difference in cost / price *vis-à-vis* each of the proposed parameters.
18. The Authority has notified the PCN methodology based on the type of Cranes (Crawler or Truck), lifting/loading capacity and type of boom (Telescopic and Non-telescopic) considering the submissions made by the interested parties and domestic industry.
19. Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides the definition of like article as under:

"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation.
20. After considering the information on record, the Authority concludes that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the provisions of Anti-dumping Rules. The two are technically and commercially, substitutable. Thus, the Authority concludes that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product

under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-dumping Rules.

21. Further, the Authority confirms the scope of PUC and PCN methodology as defined *vide* its notice dated 5th December 2024. The same is reproduced below.

The product under consideration in the present investigation is “Certain Cranes”, (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or the “subject goods”). The product under consideration is Cranes of the following types:

- a. Crawler Cranes having lifting capacity from 40 MT to 260 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.*
- b. Truck Cranes with lifting capacity from 25 MT to 160 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.*

PUC Exclusions:

i. Rough terrain cranes

ii. “All-terrain cranes 160 MT and above” which are truck mounted cranes and designed to operate effectively on various terrains and have following key characteristics:

- a. 2 engines;*
- b. hydropneumatics suspension system on all axles using hydraulic oil and compressed gas;*
- c. steering/turning of all axles with multiple steering modes;*
- d. mutli-axle drive on all or at least 3 Axles;*
- e. Automatic transmission; and*
- f. boom of more than 6 sections and telescoping achieved through single cylinder mechanism.*

iii. Standalone parts of cranes

PCN Methodology

Sl. No	Type	Value	PCN Code
1	Category / Type of Machine	Crawler Crane	CC
		Truck Crane	TC
2	Type of Boom	Telescopic	TE
		Non-Telescopic	NT
3	Load Capacity in MT (Illustrative)	25 MT	025
		30 MT	030
		35 MT	035
		40 MT	040
		45 MT	045
		50 MT	050
		55 MT	055
		60 MT	060
		65 MT	065
		70 MT	070
		75 MT	075
		80 MT	080
		85 MT	085
		90 MT	090

<i>Sl. No</i>	<i>Type</i>	<i>Value</i>	<i>PCN Code</i>
		95 MT	095
		100 MT etc. [up to 260 MT for Crawler Cranes and up to 160 MT for Truck Cranes]	100

D SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1. Submissions made by the other interested parties

22. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the standing of the domestic industry.
- The Applicant has misrepresented the existence and role of another domestic producer, TIL Limited, which continues to operate and manufacture products within the scope of the Product Under Consideration (PUC). Contrary to the claims of the Applicant, publicly available information on the official website of the company (www.tilindia.in) clearly establishes that TIL Limited continues to be operational and engaged in the manufacture of goods that fall within the scope of the product under consideration (PUC).
 - Such material information should have been disclosed by the Applicant, in accordance with Rule 5(3) of the Customs Tariff Rules, 1995, which requires the Applicant to provide evidence with regard to the volume and value of domestic production. The failure to identify and disclose the existence of another known producer of the PUC within India, namely TIL Limited is a serious lapse that compromises the credibility of the Applicant's claim regarding its market dominance or representation of the domestic industry.
 - TIL Limited still continues to manufacture and supply infrastructure equipment such as Truck Cranes, Crawler Cranes and Boom Lifts, which are within the same category as the PUC. The company's continued operation and its manufacturing capacity cannot be overlooked. The Authority is must consider all domestic producers of the like article, as per Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules, 1995, which defines "domestic industry" to include producers accounting for a major proportion of total domestic production.
 - The Users highlight TIL Limited's annual report for the POI, according to which "truck cranes & rough terrain cranes" are the primary products produced at its Kamarhatty factory. TIL Limited's website also invites quotes for multiple variants of truck cranes.
 - TIL Limited's omission from the application violates Rule 5(3) and undermines the claim that the Applicant represents the entire domestic industry. As per Rule 2(b) all domestic producers must be considered and the Authority should seek data from TIL Limited to ensure a complete injury analysis.

D.2. Submissions made by the domestic industry

23. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the domestic industry and standing:
- The applicant is the sole producer of the subject goods in India during the Period of Investigation as well as the period of injury.
 - Other producers engaged in the manufacturing of the subject goods like Tractor India Ltd. (TIL), Kobelco, Escort Tadano, ABG Crane and Tata Hitachi stopped production of the subject goods on account of aggressive dumping from China PR.
 - TIL is engaged in the manufacturing of other types of Cranes and not PUC during the period of

investigation and injury period. Thus, the applicant accounts for 100% of the Indian production.

- d. It is also submitted that the applicant has not imported the subject goods from the subject country during the period of injury. Moreover, the applicant is not related to any importer or exporter of the subject goods during POI. In view of the above facts, the Authority has rightly considered the applicant as an eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995 read with Rule 5(3).

D.3. Examination by the Authority

24. Rule 2 (b) of the AD rules defines the "domestic industry" as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

25. The interested parties have claimed that the applicant has misrepresented the existence and role of another domestic producer, TIL Limited, which continues to operate and manufacture products within the scope of the Product Under Consideration (PUC). The Authority notes that the present application has been filed by Action Construction Equipment Ltd. (ACE). The applicant has claimed in its application that it is the sole producer of the subject goods in India during the POI. The applicant has also submitted that Tractor India Ltd. (TIL) was engaged in the manufacturing of the subject goods. Further, it has claimed that TIL stopped production of the subject goods on account of aggressive dumping from China PR. The applicant has also shared the details of TIL in its application. It is also noted that none of the domestic companies including TIL have filed any submissions claiming that they are manufacturer of the subject goods in the period of investigation.
26. The Authority had published the notice of initiation in the official gazette of India inviting all interested parties to provide the data relevant to the investigation which includes any domestic producer of PUC. None of the alleged domestic producers have come forward and given the relevant data to the Authority for the purposes of investigation. Further, Authority notes that interested parties including user industry/association have failed to substantiate with any evidence like sales invoices etc. indicating production and sales of PUC by TIL. Therefore, the claim of other interested parties that TIL is one of the producers of PUC and the applicant has suppressed the facts, is not tenable.
27. The applicant has declared that it is neither related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR; nor it is related to any importer in India. The Authority notes that the applicant has not imported the product under consideration from the subject country as evidenced from the analysis of the imports data.
28. Therefore, considering the information on record the Authority notes that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the applicant satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions made by the other interested parties

29. The interested parties have made the following submission on confidentiality:
- a. The domestic industry has claimed excessive confidentiality.
 - b. The information for which confidentiality has been claimed is genuinely commercially sensitive, and its public disclosure would cause significant competitive prejudice. For all such confidential information, non-confidential summaries have been provided to the extent feasible, allowing for a reasonable understanding of the substance, as required by the Anti-Dumping Rules.

E.2. Submissions made by the domestic industry

30. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the confidentiality claims:
- a. The producer / exporters and other interested parties have claimed confidentiality on the essential information like name of shareholders, list of products, channel of trade etc.
 - b. The domestic industry has not claimed excessive confidentiality of information and has disclosed sufficient information in the non-confidential version of the application as per the practice of the Authority.

E.3. Examination by the Authority

31. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties for inspection through e-mail communication between various parties.
32. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the AD Rules, 1995 provides as follows:
- “(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*
- (2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.*
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.”*
33. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed

accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F MISCELLANEOUS

F.1. Submissions made by the other interested parties

34. The following submissions have been made by the other interested parties with respect to the miscellaneous issues:

- a. The Authority to expressly note in the Final Findings that Anhui Liugong Crane Co., Ltd. has not exported subject goods to India during the POI and will be eligible for new shipper review in the future in accordance with Rule 22 of the Anti-dumping Rules.
- b. The inclusion of credit cost in the calculation of landed value is neither legally justified nor supported by the applicable statutory framework. The landed value of the product under consideration (PUC) in India is the CIF price plus basic customs duty and relevant surcharges, as applicable.
- c. Omit HS codes 84314990, 84314390, 84314920 from the definition of the PUC as HS code 8431 only covers parts.
- d. The reason for the continued reliance on imports from China PR is the superior quality and safety standards of imported goods. The Applicant's products have been reported to fall below prevailing industry benchmarks in terms of both performance and safety.
- e. The respondents have duly submitted all required appendices and questionnaire responses, addressed all deficiency letters and provided verification documents to the Authority promptly as and when requested. It is further submitted that in the anti-dumping investigation concerning imports of "Gypsum Board/Tiles with lamination on at least one side" originating in or exported from China PR and Oman the authority assigned an individual dumping margin to Global Gypsum Board Co., LLC an Oman-based company operating in a market economy even though it did not submit Appendix-7 and Appendix-8, which pertain to cost data.

F.2. Submissions made by the domestic industry

35. The following submissions have been made by the domestic industry with respect to the miscellaneous issues:

- a. With regard to omission of HS codes 84314990, 84314390, 84314920, it is submitted that there is no question of omission of any HS Codes as it is a matter of record that the PUC was also imported under the said Codes during the period of injury. Further, it is submitted that the duty is imposed based on product description and not on HS codes, which are only for indicative purpose. Accordingly, the domestic industry humbly requests the Authority not to omit the HS codes, as requested by the interested parties, from the definition of the PUC.
- b. The objective of the present investigation is not to examine the eligibility of an exporter for new shipper review. The Authority has taken the same view in plethora of investigations. In order to substantiate our view in this context, kind attention of the Authority is invited to anti-dumping

investigation concerning imports of "Caprolactam" originating in or exported from European Union, Korea RP, Russia and Thailand [F. No. 6/39/2020 dated 27 September, 2021]. Accordingly, the domestic industry requests the Authority not to accept the request made by Liugong China PR. The relevant excerpts of the investigation are reproduced below for the ease of reference of the Authority.

29. The Authority notes that the objective of the present investigation is not examination of whether the exporter is eligible for new shipper review. The exporter is free to lodge its claim in accordance with the law in the event of imposition of duty and seek individual dumping margin.

- c. The claim made by the interested parties that the calculation of landed value is neither legally justified nor supported by the applicable statutory framework is wrong, illogical and hence, denied. The domestic industry submits as under as per its market intelligence:
 - a) The producers / exporters / importers of the subject goods are offering credit period of as high as three (3) years.
 - b) The producers / exporters / importers of the subject goods are giving post-imports discounts and rebates to undercut the prices of the Domestic Industry.
 - c) The producers / exporters have their related importers / subsidiaries / joint ventures, who are trading the subject goods in the Indian market below their purchase price i.e., at losses.
- d. The producers / exporters / importers may not have correctly reported the credit terms / cost, post-imports discounts / rebates and losses in their questionnaire response. In such a case, the landed value is not reflective of the actual price paid / payable by the importer.
- e. The law enables the Authority to examine whether the exports made by the producers / exporters were in the ordinary course of trade or not in case there is an association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party. All importers in the present investigation are related to the producers / exporters, which is a peculiar situation. We request the Authority to kindly thoroughly examine the business nexus between the producers / exporters and their related importers.
- f. To thoroughly check the payment documents as they apprehend that the related importers / exporters may have not made the payment and the transaction between producers / exporters and their related importers are dummy. It was requested to make appropriate adjustment in the export price / landed value to calculate dumping and injury margins. The relevant excerpt of the law is reproduced below.

9(A)(1)(b) "export price", in relation to an article, means the price of the article exported from the exporting country or territory and in cases where there is no export price or where the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported articles are first resold to an independent buyer or if the article is not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as may be determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

- g. The Authority in plethora of investigation made adjustments in the export price / landed value on account of credit cost, losses incurred by importer etc. to ascertain the effective export price and/or the landed value. In order to substantiate their claim in the context, the relevant text from the anti-dumping Investigation concerning imports of Aluminium and Zinc coated flat products” originating in or exported from China PR, Vietnam and Korea RP [F. No. 6/4/2019-DGTR dated 21 February, 2020] were reproduced below.

86. It is noted from the response filed by above mentioned POSCO subsidiaries in India that together, they have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent company i.e., POSCO through different trading channels as mentioned above. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which includes import prices and SGA of the subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price and net export price. Further adjustments have been allowed on account of ocean freight, inland freight, insurance, credit costs, packing costs and port and other related expenses. The net export price as determined is given in the dumping margin table.

160. As mentioned in the dumping margin analysis in this Findings, it is noted from the response filed by some of the producers and exporters from Korea RP that their wholly owned Indian subsidiaries in India have incurred a loss during the sale of the subject goods imported from their parent companies through different trading channels. As their sales price of subject goods are lower than their purchase price which included import prices and SGA of the Indian subsidiaries, suitable adjustment has been made from their landed price.

- h. To thoroughly examine the above issues and not accept the response filed by the producers / exporters and their related importers / subsidiaries / joint ventures in the event they have not fully disclosed the above-mentioned information and also not to grant them individual margins.

F.3. Examination by the Authority

36. Anhui Liugong Crane Co., Ltd. has requested to expressly note in the Final Findings that it has not exported subject goods to India during the POI, and therefore, will be eligible for new shipper review in the future in accordance with Rule 22 of the Anti-dumping Rules. The Authority notes that the objective of the present investigation is not examination of whether the exporter is eligible for new shipper review. The exporter is free to lodge its claim in accordance with the law in the event of imposition of duty and seek individual dumping margin.
37. With regard to omission of HS codes 84314990, 84314390, 84314920, the Authority notes that the duty is imposed based on product description and not on HS codes, which are only for indicative purpose.
38. As regard the claim made by the domestic industry to make adjustments of credit cost of producers and exporters from subject countries, it is noted that the it has always been the consistent practice of the Authority to adjust such credit cost in the calculation of Net export price.
39. With regard to the issue raised by the interested parties on the quality of the product, it may be noted that no conclusive evidence has been provided by any of the interested parties to prove that the PUC manufactured by the domestic industry are not like article to their product.

G NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DUMPING MARGIN**G.1. Submissions made by the other interested parties**

40. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin:
- Complete questionnaire response has been filed and have provided complete information regarding its normal value and export price.
 - The Authority should determine individual dumping margin and injury margin based on actual information provided by Respondent.
 - Hunan Zoomlion International Trade Co. Ltd. is not involved in production of PUC and/or exports of PUC to India. Therefore, there is no requirement for Hunan Zoomlion International Trade Co. Ltd. to file questionnaire response. Therefore, export value chain of Respondents to India is complete.
 - The producers / exporters have not claimed MET and Normal value may be determined based on principle of paragraph 7 of Annexure I of the AD Rules.

G.1**G.2. Submissions made by the domestic industry**

41. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to normal value and export price:
- China PR has to be presumed to be a non-market economy country in terms of Para 8 of Annexure I of the Anti-dumping Rules, as it has been treated as a non-market economy country for purposes of plethora of anti-dumping investigations by the Designated Authority or also by other competent authorities of WTO member countries during the preceding three years unless the concerned firms / producers / exporters are able to rebut the said presumption based on the criteria laid down in Para 8(2).
 - The normal value for Chinese firms should be determined as per the provisions of Para 7 of the Annexure I. The Applicants tried to get the information of the domestic prices in China PR. However, the applicants were not in a position to obtain any price details for the subject goods in the subject countries, as this information is not available in the public domain. Therefore, the domestic industry has constructed the normal value for the same on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin.
 - The producers / exporters have not filed questionnaire response for all companies engaged in the manufacturing / sales of the subject merchandise in the Indian and their domestic market. As per their understanding, the following companies engaged in the manufacturing / sales of the subject goods have not filed the questionnaire response.

XCMG Group

- XCMG Marketing Co.
- Jiangsu XCMG E-commerce Co.
- XCMG, Construction Machinery Co. Ltd.
- XCMG Mining Machinery Co.

SANY Group

- SANY Crawler Crane Industrial Park
- Turbo Fly Machine Engineering Limited
- China Wealth Hongkong Machine Limited
- SANY Mobile Crane & Tower Crane Industrial Park

ZOOMLION Group

- Hunan Zoomlion International Trade Co., Ltd
- d. To thoroughly examine this issue and not to accept the response of the producers / exporters in the event the value chain is not complete as per the consistent practice of the Authority.
 - e. As per their understanding, Sany group and XCMG group have not filed complete questionnaire response. Producers / exporters have accepted during the oral hearing that they have not filed appendix 6, 7, 8, 9 and 10. They claimed that these formats are not required to be filed since they are not claiming market economy status, which is completely wrong and misleading.
 - f. The above-mentioned formats are mandatory to be filed by all producers / exporters whether they are claiming market economy status or not. The interested parties have not cited any law under which they are exempt from filing the above-mentioned questionnaire formats. In view of the above, the domestic industry requested not to accept the response filed by XCMG, Sany and Zoomlion group as otherwise it would promote malpractices and set a bad precedence.

G.3. Examination by the Authority

42. As regard the issue raised by the domestic industry that the value chain of the cooperating producers / exporters is not complete, it is noted that from the response filed by the cooperating producers / exporters that the all companies engaged in the exports sale channel to India have filed the response and therefore, the value chain is complete.
43. The domestic industry has claimed that the producers / exporters Sany group and XCMG group have not filed complete questionnaire response. It is noted from Questionnaire response of the SANY group that they have not filed appendix 6, 7, 8, 9 and 10. Same has been accepted by the SANY group during the oral hearing. The Authority notes that appendix 6, 7, 8, 9 and 10 are mandatory formats in term of Trade Notice no. 06/2021 dated 29th July, 2021(hereinafter referred to as Trade Notice) and are required to be filed in all cases. No relaxation is provided in the said Trade Notice to the producers / exporters from China PR.
44. It is further noted that the producers / exporters based in a non-market economy country do not have to file only supplementary questionnaire on market economy conditions in case they decide not to claim market economy status. The Authority notes that it is clearly mentioned in instructions no. 8 (i) of the Trade Notice that “In case of non-market economy countries, where the participating producers/exporters have not claimed market economy treatment, only those related producers involved in the production of PUC whose product has been exported to India are required to furnish information in Part I, II and III.” Appendix 6, 7, 8, 9 and 10 are covered in Part III of the exporters’ questionnaire format prescribed via Trade Notice.
45. The Authority also notes that the information requested in the above-mentioned appendices are relevant to infer / validate correctness of the adjustments claimed in Appendix 3A / 3B as well as the cost of production of cooperating producers / exporters. It has been noted that only Sany group has not filed appendix 6, 7, 8, 9 and 10. In such a case, the response filed by Sany group cannot be accepted.

46. The Authority notes that XCMG Imp & Exp. Co., Ltd. (Related Exporter) had mentioned credit terms as “****” in appendix 3B of its questionnaire response. Further, it has been also noted that for invoice no. ***, the exporter has claimed credit term as “****” in appendix 3B while from the perusal of the sales contract enclosed with their questionnaire response, it is revealed that the credit term for this invoice is “****”. The related exporter has revised the credit term after explanation for the difference in the credit term reported in Appendix 3B and sample sales documents were sought by the Authority.
47. The Authority notes that credit cost is an important factor in this case as very long and exceptional credit period of as long as three years is provided by the related exporter to the related importer, which is not normal. The exporter has clearly mis declared the credit terms in its questionnaire response. Further, it has been noted that the related exporter has not provided credit cost in its questionnaire response despite the fact that it is clearly mentioned in the Trade Notice that credit cost is to be provided in Appendix 3A / 3B.
48. It has been also noted that the related exporter has also not provided the English version of the payment advice despite the fact that it is clearly mentioned in the Trade Notice that all documents and source material submitted in response to this questionnaire must be in English. The same cannot be reconciled with the invoices. It is further observed that there is a mismatch between the PCNs claimed by the exporter and related producers. In such a case, the response filed by XCMG group cannot be accepted.

Normal value

49. Article 15 of China’s Accession Protocol in WTO provides as follows:

Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti- Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be

available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

50. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

51. As none of the producers from China PR have filed a supplementary questionnaire on market economy conditions questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated Authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) The term "non-market economy country" means any country which the designated Authority determines as not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated Authority or by the competent Authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non- market economy country. Provided,

however, that the non- market economy country or the concerned firms from such country may rebut such presumption by providing information and evidence to the designated Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub- paragraph (3).

(3) The designated Authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment in compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated the Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated Authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti- dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization

52. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.
53. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. In the absence of the above information/evidence, the Authority is unable to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India during the period of investigation. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.

G.1.1.1 Export Price

Export price for Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Limited (Related Producer), Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. (Related Producer / Trader), Zoomlion

International Trading (H.K) Co. Ltd. (Related Trader), Zoomlion India Private Ltd. (Related Importer)

54. The Authority notes that Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Limited and Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. are related producers / exporters, which have exported *** Machines indirectly through related exporter Zoomlion International Trading (H.K) Co. Ltd. to related Indian customer Zoomlion India Private Ltd. The producer / exporter has filed complete response and have provided the information to determine the Net Export Price (NEP). The expenses on account of ocean freight, inland freight, credit cost etc. have been reduced from their export prices. The weighted average net ex-factory export price, after adjustment of the above expenses, is determined and is shown in dumping margin table below.

Export Price for non-cooperating producers/exporters

55. For all other producers/ exporters of China PR, export price has been determined based on facts available in terms of 6(8) of the AD Rules. The normal value and export price for all non-cooperating producers and exporters of China PR is mentioned in the dumping margin table below:

Dumping Margin

56. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country is determined as follows:

Dumping margin table

Producer's/ exporter's name	NV per unit (USD/NOS)	NEP per unit (USD / NOS)	Dumping margin per unit (USD / NOS)	Dumping margin %	Dumping margin % range
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40
Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
Others	***	***	***	***	100-110

H METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION, EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions made by the other interested parties

57. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- There is no material injury to the Domestic Industry on account of imports from subject countries. The Company has excelled in every financial aspect, achieving its highest-ever revenue, profit and profit margins. Compared to FY23, total income surged by an impressive 36% to ` 2,991 Crores, EBITDA soared by 83% to ` 480 Crores, and Profit after Tax witnessed a growth of 90% to ` 328 Crores. Our EPS continues its upward trajectory.

- b. The Company has demonstrated substantial growth in both volume and value, further bolstering its balance sheet position.” Cranes represented 72.28% of the Domestic Industry’s gross turnover in the POI.
- c. Domestic Industry utilizes outdated technologies for the production of the PUC which in turn increases operational costs. Conversely, producers of the PUC from China PR possess technologies for manufacturing of the PUC which are more advanced than those used by the Domestic Industry. As a result, developers in construction projects are inherently disincentivized from procuring the PUC from the Domestic Industry. This is further supported by the fact that the Domestic Industry’s closing inventory increased by approximately 500% between the base year (FY 2021-22 in this case) and the POI.
- d. The notable surge in both import volumes and the overall demand index unequivocally demonstrates that the growth in imports is necessary to meet the increase in demand.
- e. During the oral hearing held on 3rd July 2025 the applicant explicitly acknowledged that it is not incurring any financial losses and in fact earning a nominal profit.
- f. The Domestic Industry has mentioned in the petition that there has been reduction in their domestic sales of subject goods. The Respondents assert that the reported reduction in the sales volume of the subject goods by the Domestic Industry during the POI is directly attributable to an overall contraction in market demand, and not to any injurious effects of dumped imports.
- g. The Domestic Industry's financial data reveals a significant and unexplained increase in capital employed throughout the injury investigation period, which occurred without any corresponding increase in production capacity.
- h. The increase in imports into the domestic market is not a cause of injury to the Domestic Industry but rather a direct and commensurate response to a substantial increase in domestic demand. Furthermore, the Domestic Industry itself is exhibiting robust performance across various key economic parameters, thereby precluding any finding of material injury attributable to the subject imports.
- i. Data submitted by the Applicant demonstrates that its domestic selling price has consistently increased over the injury period including during the Period of Investigation (POI). This upward trend in prices has occurred despite a reported decline in overall demand implying that the Applicant has not suffered any price depression or suppression due to the presence of allegedly dumped imports.

H.2. Submissions made by the domestic industry

58. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

- a. Imports from China PR increased significantly from 243 Machines in the base year to 961 Machines in the POI i.e., by around 295%. This substantial increase in imports from China PR clearly shows the injurious impact of imports on the financial performance of the Domestic Industry.
- b. Imports of the subject goods from China PR accounts for 100% of the total imports of the subject goods during the POI.
- c. Share of imports from China PR in demand is as high as 97%. The share of China PR increased by 12% in the POI as compared to the base year. However, during the same period the share of the domestic sales of the applicant in demand declined by 77% despite increase in the overall demand.

- d. There is significant variation in the cost / price of the product types / PCNs of the subject goods. Accordingly, the domestic industry has considered the landed value of only those PCNs imported from China PR, which were manufactured & sold by the domestic industry in domestic market for the purpose of the price undercutting to ensure fair comparison. The price undercutting is not only positive but also significant.
- e. The comparison of cost of sales and selling price clearly shows that the domestic selling price of the subject goods is not increased in the POI in proportion of the increase in the cost of the sales of the Domestic Industry. Resultantly, the profitability of the Domestic Industry declined significantly.
- f. The productivity declined on account of decline in the production due to increase in the dumped imports from China PR (declined by 27% in the POI as compared to the base year).
- g. The sales quantity of the Domestic Industry declined significantly by 18% in the POI as compared to the base year.
- h. The ROCE declined significantly from 255 (index points) in FY 21-22 to 89 (index points) in the POI.
- i. The dumping margin and injury margins are not only positive but also significant.
- j. The claim made by the interested parties that the domestic industry has excelled in every financial aspect, achieving its highest-ever revenue, profit and profit margins during the POI as compared to FY23 is misleading, and hence, denied. The claim made by the interested parties is based on the information provided in the Annual Report of the domestic industry, which includes NPUC. It is submitted that the domestic industry is engaged in the manufacturing of multiple types of Cranes. However, the scope of PUC includes only Crawler Cranes and Truck Cranes. The domestic industry has filed the actual injury information of the PUC with the Authority, which clearly shows that the domestic industry has suffered material injury on account of imports of PUC from subject countries.

H.3. Examination by the Authority

59. The interested parties have claimed that there is no material injury to the Domestic Industry on account of imports from subject countries since the domestic industry has excelled in every financial aspect, achieving its highest-ever revenue, profit and profit margins in POI as compared to FY 23. The Authority notes that the domestic industry is also engaged in the manufacturing of other types of Cranes, which are outside the scope of PUC. In such a case, the submissions made by the interested parties on the profitability of the domestic industry considering the overall financial information provided in their annual report is incorrect. As regards capital employed, it has been noted that the increase is on account of increase in the working capital and non-current assets other than plant & machinery, which do not increase the productivity.
60. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that injury determination shall involve an examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.....taking into account all the relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

61. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II to the Rules.
62. The Authority has taken note of the various submissions made by the domestic industry and the other interested parties on injury and causal link. The submissions made by interested parties with regard to injury and causal link, which have been considered relevant by the Authority are examined and addressed as under.
63. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, determines whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of Demand

64. The Authority has determined the demand or the apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the domestic industry, other domestic producer and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Sales of domestic industry	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	65	109	82
Imports from China PR	NOS	163	667	949	938
<i>Trend</i>	Indexed	100	409	582	575
Imports from other countries	NOS	1	2	11	0
<i>Trend</i>	Indexed	100	200	1100	0
Sales of Other domestic producers	NOS	0	0	0	0
<i>Trend</i>	Indexed	0	0	0	0
Total Demand	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	349	504	488

65. The Authority notes as follows:
- The imports of the subject goods from China PR increased significantly from 100 index points in the base year to 575 index points in the POI.
 - The sales of the domestic industry declined by 18 index points in the POI as compared to the base year. Further, it has been also noted that the sales of the domestic industry declined by

27 index points in the POI as compared to FY 22-23. The sales of the domestic industry in the POI also declined as compared to the FY 20-21 (base year).

- The demand of the subject goods increased significantly from 100 index points in the base year to 488 index points in the POI.

b) Import volume and share of the subject country

66. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. For the purpose of the injury analysis, the Authority has relied upon the transaction-wise data from DGCI&S. The import volumes of the subject goods and share of the same during the injury investigation period are as follows:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR	NOS	163	667	949	938
<i>Trend</i>	Indexed	100	409	582	575
Total Imports into India	NOS	164	669	960	938
<i>Trend</i>	Indexed	100	408	585	572
Production of Domestic Industry	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	121	94
Demand	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	349	504	488
Subject country imports in relation to					
Total Imports	%	99.4%	99.7%	98.9%	100.0%
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	99	101
Production of Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	355	480	613
Demand	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	117	116	118

67. The Authority notes as follows:

- The share of imports of the subject goods from China PR in relation to the domestic production increased significantly from 100 index points in the base year to 613 index points in the POI. The share of imports of the subject goods from China PR in relation to the domestic production increased throughout the period of injury.
- Imports from China PR increased significantly during the period of injury. The share of imports of the subject goods from China PR in the demand increased significantly from 100 index points in the base year to 118 index points in the POI.

H.3.2. Price effect of the dumped imports

68. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of

the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course.

69. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a) Price undercutting

70. The price undercutting during the POI is noted below for the PCNs manufactured by DI for the sake of fair comparison:

Particulars	UOM	Price Undercutting
Landed Price	Rs/NOS	12136571
Net Sales Realization	Rs/NOS	***
Price Undercutting	Rs/NOS	***
Price Undercutting	%	***
Range	Range	0%-10%

71. The Authority notes that the landed price of subject imports in the POI is below the selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry.

b) Price suppression/depression

72. To determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress domestic prices to a significant degree or prevent increases in domestic prices which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period for the PCNs manufactured by DI for the sake of fair comparison.

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Cost of Sales	Rs/NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	99	112	118
Sales Realisation	Rs/NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	103	111	115
Landed Price (PCNs manufactured by DI)	Rs/NOS	11022558	14126849	11731707	12136571
<i>Trend</i>	Index	100	128	106	110

73. The Authority notes that the landed price of imports of subject goods from the subject country during FY 2022-23 and POI was below the cost of sales as well as sales realisation of the domestic industry. This has created a significant price suppression effect on the domestic industry. The cost of sales of the domestic industry has increased by 19 indexed points in the POI as compared to 2021-22, whereas the landed value declined during the same period by 18 index points. The sales realisation is below cost of sales during POI.

H.3.3.Economic parameters pertaining to the domestic industry

74. Annexure II of the Rules lays down that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of such products. The Rules further provide for an objective evaluation of all relevant economic parameters and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a) Capacity, production, capacity utilization and domestic sales

75. The details of capacity, production, capacity utilization, domestic sales and average inventory of the domestic industry over the injury period are as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Installed Capacity	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	100	100
Production (PUC)	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	121	94
Capacity Utilisation	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	121	94
Domestic Sales	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	65	109	82
Average Inventory	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	200	400

76. The Authority notes as follows:

- The production and capacity utilisation of the domestic industry declined by 27 index points in the POI as compared to the FY 2022-23 despite significant increase in the demand. The capacity utilisation of the domestic industry is very low.
- There is a decline in the domestic sales of the domestic industry by 18 index points in the POI as compared to the base year, Further, it has been declined by 27 index points in the POI as compared to FY 2022-23.
- The average inventory increased significantly from 100 index points in the base year to 400 index points in the POI on account of dumping from China PR.

b) Market share

77. Information with respect to market share over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Imports from China PR	NOS	163	667	949	938
<i>Trend</i>	Indexed	100	409	582	575

Imports from other countries	NOS	1	2	11	0
<i>Trend</i>	Indexed	100	200	1100	0
Sales of the Domestic Industry	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	65	109	82
Total Demand	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	349	504	488
Market Share of Domestic Industry	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	19	22	17
Market Share of Imports from China PR	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	117	116	118

78. The Authority notes as follows:

- Imports of subject goods from China PR increased from 100 index points in base year to 575 index points in the POI.
- Imports from China PR increased significantly during the period of injury. The share of imports of the subject goods from China PR in the demand increased significantly from 100 index points in the base year to 118 index points in the POI. The share of imports of the subject goods from China PR in the domestic production increased throughout the period of injury.
- The market share of the domestic industry declined significantly from 100 index points in the base year to 17 index points in the POI. The market share of the domestic industry declined throughout the period of injury.

c) Profitability, cash profits, and return on investments

79. Information with respect to profitability, return on investment and cash profits during the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Profit before Tax	Rs./NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	-100	1122	-208	-981
Profit before Tax	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	-100	761	-226	-808
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	269	14	-197
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	182	0	-42

80. The Authority notes as follows:

- The losses of the domestic industry intensified in the POI due to dumping from China PR. The loss per unit increased from (100) index points in the base year to (808) index points in the POI.
- The cash profit of 100 index points in the base year turned to (197) in the POI.
- The positive ROCE in the based year turned to negative in the POI. The ROCE of 100 index points in the base year turned to (42) in the POI.

d) Inventory

81. Information with respect to inventory over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Average Inventory	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	100	200	400

82. The Authority notes that inventory of the domestic industry has increased in the POI on account of significant increase in the imports from China PR.

e) Productivity, employment, and wages

83. Information with respect to productivity, employment, and wages over the injury period is as under:

Particulars	UOM	2020-21	2021-22	2022-23	POI
Productivity per day	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	115	121	94
Productivity per employee	NOS	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	114	112	73
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	101	108	129
Salaries & Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Indexed	100	97	89	81

84. The productivity of the domestic industry declined significantly in the POI as compared to FY 2022-23 and previous years.

f) Growth

85. The details relating to growth parameters are provided below.

Particulars	UOM	2021-22	2022-23	POI
Production	%	15%	5%	-23%
Domestic Sales	%	-35%	68%	-24%
PBT (Per Unit)	%	1122%	-120%	-373%
Cash Profit (Lacs)	%	169%	-95%	-1553%
ROI	%	82%	-100%	-14732%
Market Share of DI in Demand	%	-81%	17%	-22%

Inventory	%	0%	300%	100%
-----------	---	----	------	------

86. The Authority notes that the losses of the domestic industry increased significantly in POI as well as FY 22-23. The production of the domestic industry declined significantly in the POI. The domestic industry is not able to fetch remunerative selling price on account of dumping of the PUC from China PR. Further, it has been noticed that the cash profits, ROI, market shared have also declined during the same period.

g) Factors affecting domestic prices

87. The examination of the import prices from the subject countries, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price of the domestic industry, causing price undercutting. The price undercutting has led to price suppression in the Indian market. The demand for the subject goods increased over the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices.

h) Ability to raise capital investments

88. The Authority notes that the ability of the domestic industry to raise any further capital investment is significantly curtailed owing to the dumped imports of subject goods into India. The losses of the company increased significantly in the POI as compared to FY 22-23. In such a case, the domestic industry is not in a position to raise further capital investments.

i) Magnitude of dumping margin

89. It is seen that the dumping margin is more than *de minimis* and is significant.

I NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

90. As per the AD Rules, the Authority, *inter-alia*, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. The factors which may be relevant in this respect include, *inter-alia*, the volume and prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in the demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury.

a) Volume and price of imports from third countries

91. The Authority notes that there are no imports of the subject goods from non-subject countries during the POI.

b) Contraction in Demand

92. There has been constant increase in the demand of the product concerned throughout the injury period except a marginal decline in POI as compared to FY 2022-23. Therefore, contraction in demand cannot be a cause of injury to the domestic industry.

c) Export Performance and Captive Consumption

93. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market.

d) Development of Technology

94. There has been no change in technology which can cause injury to the domestic industry.

e) Performance of other products of the company

95. The Authority has only considered information related to the PUC for the purpose of injury analysis.

f) Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

96. There are no trade restrictive practices that can be considered as the reason for material injury suffered by the domestic industry.

g) Changes in pattern of consumption

97. The pattern of consumption in India has not changed with respect to the PUC.

J MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

98. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the duly verified cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been compared with the landed price of subject goods from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities to the extent possible has been considered over the injury period. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.
99. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below:

Injury Margin Table

Producer's/ exporter's name	NIP per unit (US\$)	Landed value per unit	Injury margin per unit	Injury margin %	Injury margin % range
-----------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	-----------------------

		(US\$)	(US\$)		
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
Others	***	***	***	***	40-50

K INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

K.1. Submissions made by other interested parties

100. The imposition of anti-dumping duties in the present case would be severely detrimental to the public interest.
101. It is submitted that cranes are high-value capital goods, and their acquisition represents a significant investment for crane service providers such as the Users. The imposition of duties ranging from 80-90% would essentially double the cost of procurement of the PUC, in turn rendering the procurement of new, technologically advanced cranes economically unfeasible for the Users. This prohibitive cost would force the Users, who form the primary purchasers of the PUC (regardless of whether domestically produced or imported), to halt fleet expansion and modernization. The Users also highlight the possibility of such prohibitive costs requiring the Users to shut down their operations entirely, leading to job losses and a reduction in market competition.

K.2. Submissions made by the domestic industry

102. The impact of anti-dumping duty on the end-use product is negligible i.e., only 0.22%
103. The objective of the domestic industry is only to get level playing field through imposition of appropriate duties against unfair imports of the subject goods and not to restrict imports.

K.3. Examination by the Authority

104. The Authority issued a gazette notification inviting views on the subject anti-dumping investigation from all the interested parties, including importers, users and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the importers/users to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping duty on their operations. The Authority sought information on inter-alia, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the users etc.
105. The Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way. Trade remedial investigations are intended to restore equal competitive opportunities in the domestic market by ensuring a level playing field for domestic producers by the imposition of appropriate duties against trade distorting imports.

106. The Authority notes that the volume of imports from the subject country has increased significantly through the period of injury except marginally decline in POI as compared to FY 22-23. The increase in imports from the subject country has adversely impacted the market share of the domestic industry. Further, it is also noted that the Indian Industry hold capacity to meet majority of the demand in the country.

L POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Submissions made by other interested parties

107. Normal value and injurious price determined by the Authority are unduly high. It is requested to evaluate the appropriateness of such high normal value and non-injurious price determined by the Authority based on the data of the domestic industry. Imposition of high anti-dumping duty is unjustifiable and unduly burdensome.
108. Authority has determined dumping margin of 100-110% and injury margin of 70-80% in the disclosure statement for non-cooperating producers/exporters from China PR. Respondents (Zoomlion Group) agree with the determination of higher dumping margin and injury margin for non-cooperating producers/exporters. Respondents request the Authority to confirm this determination in the final findings as well.
109. *Ad-valorem* form of anti-dumping duty should be prescribed by the Authority in the present investigation as subject goods in the present investigation are in the nature of capital goods. It is a settled and consistent practice of the Authority to prescribe anti-dumping duty in the form of *ad valorem* rates for capital goods i.e., anti-dumping duty as a percentage of the CIF value. The underlying rationale is that capital goods normally cover smaller and bigger capacity/size machines and there is substantial variation between the price of smaller and bigger machines.
110. The Authority recommended *ad-valorem* form of anti-dumping duty i.e., as a percentage of CIF value in the following recently concluded anti-dumping investigations involving capital goods:
- Anti-dumping investigation concerning imports of “Plastic Processing Machines” (PPM) or Injection Moulding Machines originating in or exported from China PR and Taiwan – Final Findings dated 27 March 2025
 - Anti-dumping investigation concerning imports of “Wheel Loaders” originating in or exported from China PR – Final Findings dated 29 September 2023
 - Anti-dumping investigation concerning imports of "Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding" originating in or exported from China PR – Final Findings dated 27 September 2023.
111. The Disclosure Statement refers to Respondent as "Liugong China PR" or "Liugong China". Respondent respectfully request that the Authority to use the full and correct legal name, Anhui Liugong Crane Co., Ltd., in the Final Findings to avoid any ambiguity.
112. The Authority has arbitrarily and unjustifiably rejected the entire Questionnaire Response filed by the Respondents (Sany Group) solely on the claim that Appendices 6, 7, 8, 9 and 10 were not filed. This is despite relevant and reliable information furnished in the Questionnaire Response filed by the Respondents.

113. The Authority has misapplied the discretion conferred to it under Rule 6(8) whilst determining the export price in the present investigation. It has incorrectly applied facts available under Rule 6(8) to construct export price despite due filing of Appendices 3A and 3B by the Respondents. This is a gross misapplication of the discretion conferred to it under the provision and is contrary to the law therein.
114. The Authority has contravened the law and practice for non-market economies and failed to consider the information furnished by the Respondents in the present investigation. The respondents did not claim market economy treatment and thus presumably receive non-market economy treatment in the present investigation. Therefore, it becomes the responsibility of the Authority to issue a supplemental questionnaire if they specifically require additional cost appendices for the NME party.
115. The Authority have acted in contravention to law in the scope of PUC preliminarily determined. The Disclosure Statement noted that the Domestic Industry is capable of producing the Crawler Cranes above 180 MT lifting capacity and Truck Cranes above 100 MT lifting capacity. Merely based on this reasoning, it has proposed to exclude Crawler Cranes of lifting capacity above 260 MT and Truck Cranes of lifting capacity above 160 MT from the scope of the investigation.
116. The Authority has committed gross violations of the principles of natural justice in the Disclosure Statement issued. It has rejected the Questionnaire Response filed by the Respondents in entirety.
117. XCMG has duly furnished all information and provided complete responses to the Questionnaire issued by it. The responses include all relevant appendices regarding costing and prices for the PUC. Despite the providing all relevant information, the DGTR has wrongly rejected its entire questionnaire response without proper reasoning for the same. The Authority ought to have simply rejected the Credit cost adjustment and applied an alternate appropriate adjustment deemed fit to the Authority, instead of simply rejecting the entire submissions. Or applied best facts available on record. The Authority ought to act in accordance with the Principle of Natural Justice. The Practice of Authority of rejecting entire questionnaire instead of rejecting one adjustment is unheard of and uncalled for. Hence, XCMG requests DGTR to consider its prior submissions and questionnaire responses duly filed in respect of the present matter.
118. XCMG submits that in Appendix 3A of the Questionnaire Response filed, credit cost was not reported because all payment terms were prepayment before shipment, therefore there was no term of credit. The Respondent, have already provided this explanation during deficiency letters and it is not reasonable to force the company to report costs which never occurred. Further, in Appendix 3B of the Questionnaire Response, credit cost was not reported because this appendix refers to sales to related party.
119. The credit cost arises in the sales process where the seller, due to a pay term, temporarily cannot receive payment immediately and may need to obtain the necessary operating funds through borrowing or other financing means, resulting in interest costs. However, related companies are ultimately under the ultimate control of the same third party. Therefore, although there might be flexibility in payments between related parties, the seller will not face a situation where it lacks the necessary operating funds due to payment terms from a related company. As a result, the company believe that there are no credit costs in sales between related companies. Additionally, XCMG submits that even if the Authority needs to add credit costs to write off the export price, it may make adjustments where it considers appropriate since we have provided the annual interest rate of 4.35%

used for calculation of credit cost. Thus, it is unreasonable for the Authority to simply reject entire responses of XCMG because company claimed one cost to be zero.

120. DGTR's disclosure relies on the Trade Notice No. 6/2021 which includes credit costs in the calculation of landed value. Herein, XCMG submits that Trade Notices are merely administrative tools that provide procedural guidance and clarification regarding DGTR practices and have no legal enforceability. Hence, it's primacy given to the Trade Notice over legally binding statutory mandates enshrined in the Customs Act, Customs Valuation Rules and Customs Tariff Act is misplaced, grossly erroneous and must be rectified in time for the final determination on the matter.
121. XCMG submits that it has duly filed the Appendices 3A and 3B which provide relevant information regarding export prices. Despite the filing of this information, the DGTR has applied facts available to construct export price as per Rule 6(8) of the AD Rules. This is a gross misapplication of the discretion conferred to it under the provision.

K.2. Submissions made by the domestic industry

122. Sany group companies have not filed complete questionnaire response. Producers / exporters have not filed appendix 6, 7, 8, 9 and 10 as evidenced from para no. 45 of the disclosure statement. These formats are mandatory to be filed by all producers / exporters whether they are claiming market economy status or not as evidenced from instructions no. 8 (i) of the Trade Notice no. 06/2021 dated 29 July, 2021. All other producers / exporters have filed the above-mentioned formats. The Authority has rightly not accepted the response filed by Sany group.
123. XCMG group are offering credit period of as high as three (3) years. However, they have misdeclared the same in their questionnaire response as also clearly evidenced from para no. 46 and 47 of the disclosure statement.
124. XCMG group companies have given unreasonable and unprecedented credit terms of as high as three (3) years to their related Indian customer. Further, they have not filed the English version of the supporting documents in clear violation of Trade Notice no. 06/2021 dated 29 July, 2021. The Authority has rightly rejected the questionnaire response of XCMG group.
125. The law enables the Authority to examine whether the exports made by the producers / exporters were in the ordinary course or not in case there is an association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party. All importers in the present investigation are related to the producers / exporters, which is a peculiar situation. In such a case, the related importers / exporters may have not even made the payment and the transaction between producers / exporters and their related importers are dummy.
126. The Authority as a matter of its consistent practice should make adjustments in the landed value to ascertain the effective landed value so that fair comparison can be made between NIP and landed value.
127. 22% ROCE is allowed to the domestic industry for the recovery of interest cost, corporate tax and profit as evidenced from para 19.16 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations. The domestic industry does not offer any credit to its customers as a part of its standard terms & conditions and the entire payment is expected to be paid prior to the delivery. A part of the payment is received as non-refundable advance and the balance against despatch of the

equipment. This can be corroborated from purchase orders/invoices, a few samples of which were already attached. Therefore, there is no question of inclusion of credit cost in the cost of interest paid by the domestic industry. Accordingly, to the Authority should make adjustments of credit cost in the landed value to ascertain the effective landed value so that fair comparison can be made between NIP and landed value.

K.3. Examination by the Authority

128. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties and notes that majority of the comments / submissions are reiterations which have already been suitably examined and adequately addressed in the relevant paras of the final findings. The same are not being repeated in the post-disclosure examination by the Authority for the sake of brevity. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.
129. Zoomlion Group has claimed that normal value and non-injurious price determined by the Authority are unduly high, and therefore, the Authority must evaluate the appropriateness of such high normal value and non-injurious price based on the data of the domestic industry. The Authority notes that non-injurious price has been determined based on the verified data/information of the domestic industry and normal value has been constructed as per the provisions of Anti-dumping rules as well as consistent practice of the Authority.
130. As regards the request made by the interested parties to recommend *ad valorem* form of anti-dumping duty in the present investigation, it may be noted that since subject goods in the present investigation are in the nature of capital goods, and the large number of PCNs involved, the Authority considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
131. Sany group has claimed that the Authority has arbitrarily and unjustifiably rejected the entire Questionnaire Response filed by the Respondents solely on the claim that Appendices 6, 7, 8, 9 and 10 were not filed by the Authority. Further, it has been claimed that the Authority has contravened the law and practice for non-market economies and failed to consider the information furnished by the Respondents in the present investigation. The Authority notes that in term of Trade Notice no. 06/2021 dated 29th July, 2021 issued by the Authority, the exporters/producers are mandatorily required to submit data/information as per formats prescribed in Appendix 6, 7, 8, 9 and 10. No exemption/relaxation is provided in the said Trade Notice to the producers / exporters from China PR, whether they have claimed market economy status or not.
132. The Authority further notes that it is clearly mentioned in instructions no. 8 (i) of the Trade Notice that “In case of non-market economy countries, where the participating producers/exporters have not claimed market economy treatment, only those related producers involved in the production of PUC whose product has been exported to India are required to furnish information in Part I, II and III.” Appendix 6, 7, 8, 9 and 10 are covered in Part III of the exporters’ questionnaire format prescribed in the said Trade Notice. The information requested in the above-mentioned appendices are relevant to infer / validate correctness of the adjustments claimed in Appendix 3A / 3B as well as the cost of production of cooperating producers / exporters.
133. XCMG has claimed that they have duly furnished all information and provided complete responses to the Questionnaire, despite providing all relevant information, the DGTR has wrongly rejected its

entire questionnaire response without proper reasoning for the same. The Authority notes that XCMG Imp & Exp. Co., Ltd. (Related Exporter) had mentioned credit terms as “****” in appendix 3B of its questionnaire response. Further, it has been also noted that for invoice no. ***, the exporter has claimed credit term as “****” in appendix 3B while from the perusal of the sales contract enclosed with their questionnaire response, it is revealed that the credit term for this invoice is “****”. The related exporter has revised the credit term after explanation for the difference in the credit term reported in Appendix 3B and sample sales documents were sought by the Authority.

134. It is noted that credit cost is an important factor in this case. A very long and exceptional credit period of as long as three years is provided by the related exporter to the related importer, which is not normal. The exporter has clearly mis declared the credit terms in its questionnaire response. Further, it has been noted that the related exporter has not provided credit cost in its questionnaire response despite the fact that it is clearly mentioned in the Trade Notice that credit cost is to be provided in Appendix 3A / 3B. XCMG has accepted in the post disclosure statement comments that related companies are ultimately under the ultimate control of the same third party, and therefore, there is flexibility in payments between related parties. It is noted that XCMG has not disclosed this fact in the questionnaire response.
135. It has been also noted that the related exporter has also not provided the English version of the payment advice despite the fact that it is clearly mentioned in the Trade Notice that all documents and source material submitted in response to this questionnaire must be in English. The same cannot be reconciled with the invoices. It is further observed that there is a mismatch between the PCNs claimed by the exporter and related producers. In such a case, the response filed by XCMG group cannot be accepted.

M CONCLUSION

136. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made by the interested parties and facts available before the Authority, as recorded in the above findings, and on the basis of above analysis of the dumping, injury and causal link to the domestic industry, the Authority concludes as follows:
 - a) The article manufactured by the domestic industry is a like article to the subject goods exported from the subject country in terms of Rule 2 (d) of the AD Rules, 1995.
 - b) The applicant constitutes ‘domestic industry’ within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.
 - c) The dumping margin from subject country is not only positive but also significant.
 - d) The domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports of subject goods from subject country.
 - e) The injury margin is positive and significant.
 - f) No other factor appears to have caused injury to the domestic industry.
137. The Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.
138. It is noted with regard to public interest that anti-dumping duty will have negligible impact on the downstream products. Also, anti-dumping duty does not restrict imports but only ensures that the imports enter the market at fair prices.

N RECOMMENDATION

139. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was provided to the domestic industry, Embassy of the subject country, producers/exporters of the subject goods from the subject country, importers, users, and other interested parties to provide information with regards to dumping, injury, and causal link. Having initiated under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules and conducted investigation in accordance with Rule 6 of the Anti-Dumping Rules regarding dumping, injury and causal link as required under Rule 17 (1) (a) of the Anti-Dumping Rules and established material injury to the domestic industry due to subject imports from the subject country, the Authority recommends imposition of anti-dumping duties on imports of subject goods from the subject country.
140. Considering the nature of the product under consideration and the large number of PCNs involved, the Authority considers that it would be appropriate to recommend anti-dumping duty as a percentage of the CIF value of the import price of the subject goods.
141. Further, having regard to the lesser duty rule as enunciated in Rule 17 (1)(b) of the Anti-Dumping Rules, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duties equal to the lesser of margin of dumping or margin of injury, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duties equal to the amount as percentage of CIF value indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government for a period of five (5) years:

Duty Table

S. No.	Customs Tariff Line*	Description of Goods **	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty (% of CIF value in US\$)
1	2	3	4	5	6	7
1	8426	Certain Cranes	China PR	Any including China PR	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	24.87%
2	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Hunan Zoomlion Crawler Crane Co., Ltd.	24.87%
3	-do-	-do-	China PR	Any including China PR	Any other Producer	52.03%
4	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any other Producer	52.03%

* The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

** Certain Cranes of the following types are included within the scope of the product under consideration:

a. Crawler Cranes having lifting capacity from 40 MT to 260 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.

b. Truck Cranes with lifting capacity from 25 MT to 160 MT, whether in fully assembled, semi-assembled or disassembled form.

The following products are excluded from the scope of the product under consideration:

i. Rough terrain cranes

ii. "All-terrain cranes 160 MT and above" which are truck mounted cranes and designed to operate effectively on various terrains and have following key characteristics:

a. 2 engines;

b. hydropneumatics suspension system on all axles using hydraulic oil and compressed gas;

c. steering/turning of all axles with multiple steering modes;

d. mutli-axle drive on all or at least 3 Axles;

e. Automatic transmission; and

f. boom of more than 6 sections and telescoping achieved through single cylinder mechanism.

iii. Standalone parts of cranes

O FURTHER PROCEDURE

142. An appeal against the order of the Authority arising out of the final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority